[Mr Deputy Speaker]

casteless and religionless society in India."

The motion was adopted.

SHRIMATI VIDYA CHENNUPATI: I introduce the Bill.

CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (AMENDMENT) BILL*

(*Amendment of Section* 378)

SHRI RAMNATH DUBEY (Banda) I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Code of Criminal Procedure, 1973.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Code of Criminal Procedure, 1973."

The motion was adopted.

SHRI RAMNATH DUBEY: I introduce the Bill.

INDIAN POST OFFICE (AMENDMENT) BILL—*Contd.*

(*Amendment of Section* 26)

MR. DEPUTY SPEAKER: Now further consideration of the following motion moved by Shri Atal Bihari Vajpayee on 30th April 1982, namely:—

"That the Bill further to amend the Indian Post Office Act, 1898, be taken into consideration."

Mr. Vajpayee was on his legs. He has taken 120 seconds.

Mr. Vajpayee.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, हम ने अंग्रेजों से आज़ादी प्राप्त कर ली, लेकिन अंग्रेजों द्वारा बनाये गये कुछ काले कानूनों को हम अभी भी अपनी व्यवस्था का अंग बनाए हुए हैं। अंग्रेजों ने 1898 में "इण्डियन पोस्ट आफ़िस एक्ट" इस देश के ऊपर थोपा था। उन का उद्देश्य था—व्यक्तियों और संगठनों की चिट्ठी-पत्रियों पर नज़र रखना, उसे रोकना और उसे नष्ट-भ्रष्ट करने का अधिकार ले लेना। यह काम अंग्रेज अपने साम्राज्य को बनाये रखने के लिये करना चाहते थे। पहले देशभक्तों की चिट्ठियां सेंसर की जाती थीं, संगठनों के बीच में जो पत्र-व्यवहार होते थे उन्हें रोक लिया जाता था, लेकिन अंग्रेज़ तो लोकतंत्र से बंधे हुए नहीं थे, उन की आंखों में व्यक्तिगत आज़ादी का कोई मूल्य नहीं था। 1947 में देश आज़ाद हो गया, 1950 में हम ने भारत को गणतन्त्र घोषित किया, संविधान में हम ने मूलभूत अधिकारों का प्रावधान किया उन मूलभूत अधिकारों के अन्तर्गत व्यक्ति को चिट्ठी-पत्री करने का अधिकार है, संगठनों को पत्र-व्यवहार करने की छूट है, लेकिन आश्चर्य है कि अंग्रेज़ों का बनाया हुआ काला-कानून अभी तक चल रहा है। इस से भी बड़ा आश्चर्य यह है कि उस काले-कानून का उपयोग किया जा रहा है . . .

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : दुरुपयोग किया जा रहा है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कर्नाटक की सरकार ने बड़े गर्व के साथ घोषणा की है कि हम कुछ व्यक्तियों के पत्र-व्यवहार को सेंसर कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, भारत की राजधानी दिल्ली में दिल्ली प्रशासन द्वारा 300 लोगों की एक सूची बनाई गई है और

*Published in Gazette of India Extra-ordinary. Part II, Section 2 dated 9-7-82.

उन व्यक्तियों की डाक सेंसर की जा रही है। यह सिलसिला नवम्बर, 1980 से प्रारम्भ हुआ। इसके प्रारम्भ करने वाले लेफ़्टिनेन्ट गवर्नर जगमोहन थे। उन्होंने आपात स्थिति के दिनों में बड़ी कीर्ति कमाई थी। हम समझते थे कि आपात स्थिति के लगाने वालों ने उस से कोई शिक्षा ली होगी। प्रधान मंत्री ने चुनाव के दौरान कहा था कि एक हज़ार साल तक आपात-स्थिति नहीं लगाई जाएगी। अब आपात-स्थिति की औपचारिक घोषणा नहीं की गई है मगर कुछ काम ऐसे किये जा रहे हैं जो आपात-स्थिति की याद दिलाते हैं। नवम्बर, 1980 में एक सूची तैयार की गई थी और उस में 172 लोगों के नाम थे। इसमें 12 पार्लियामेंट के मेम्बर थे। लेफ़टीनेन्ट गवर्नर गोवा चले गये। आपात स्थिति के दिनों के गृह सचिव श्री खुराना लेफ्टीनेन्ट गवर्नर के सिंहासन पर विराजमान हो गये उन्होंने उस सूची को बढ़ाने का फ़ैसला कर लिया। 172 लोगों की सूची अब 300 लोगों की सूची है। इस में पार्लियामेंट के 26 मेम्बर शामिल हैं, विरोधी दलों के मेम्बर हैं और सत्तारूढ़ दल के भी मेम्बर हैं। हमारी सरकार भेदभाव नहीं करती, सब को समान दृष्टि से देखती है। किस आधार पर उन लोगों की चिट्ठियों को सेंसर किया जा रहा है? अंग्रेज़ों ने कहा था कि अगर पब्लिक सेफ़्टी खतरे में पड़ जाए या पब्लिक ट्रांयेलिटी का तकाजा हो, तो केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या इन के द्वारा अधिकार दिया गया कोई भी अफ़सर चिट्ठियों को रोक सकता है, जांच-पड़ताल कर सकता है, रद्दी की टोकरी में फ़ेंक सकता है, आग लगा सकता है। यह पब्लिक सेफ़्टी क्या है, पब्लिक ट्रांयेलिटी क्या है? यह साम्राज्यवादियों की भाषा स्वतन्त्र भारत में शोभा नहीं देती। राष्ट्र की सुरक्षा की बात कही जाए, तो मैं मान सकता हूं, देश की आजादी खतरे में पड़ जाए, सीमाओं पर आंच आ जाए देश किसी आयचित युद्ध में फ़ंस जाए, तो व्यक्ति की स्वाधीनता को मर्यादित किया जा सकता है। हम इस स्थिति पर विचार करने के लिए तैयार हैं मगर पब्लिक सेफ़्टी क्या है? किस की सेफ्टी? अंग्रेजों के लिए पब्लिक सेफ्टी का मतलब था उन के राज्य की सेफ़्टी। क्या आज भी वही अर्थ है। पब्लिक ट्रांकुअयेलिटी का क्या अर्थ है? कोई व्यक्ति अगर शान्ति भंग करेगा, तो कानून हैं। उन के अन्तर्गत कार्यवाही हो सकती है। मगर आज अंग्रेजों के कानून का उपयोग किया जा रहा है। अब स्थिति यहां तक बिगड़ गई है कि दिल्ली के अफ़सर यह नहीं कहते कि हम पब्लिक सेफ्टी के लिये ऐसा कर रहे हैं, पब्लिक ट्रांकुयेलिटी के लिये ऐसा कर रहे हैं। मेरे पास दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के श्री वाही द्वारा फ़ाइल नं० एफ़-5/4/81, होम जनरल, पर जो नोट लगाया गया है, उस नोट का विवरण है। वह मेरे पास मौजूद है और मैं उस को उद्धृत करना चाहता हूं:

> "DCP(SB) has sent appendices A to F disclosing names of organisations and individuals whose activities are considered to be objectionable in as much as these institutions and individuals have anti-Government or agitational approach in solving various problems."

क्या मतलब है इसका? सरकार का विरोध करना जुर्म है, तुम्हारी चिट्ठी पत्नी पहुंचने नहीं दी जायगी, समस्याओं को हल करने के लिये तुम्हारा रवैया आन्दोलनात्मक है, इस की इजाजत नहीं दी जायगी।

मैं चुनौती देना चाहता हूं। केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि यहां बैठे हुये हैं। समाचारपत्रों को मैं बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में क्या किया जा रहा है, इसका भंडाफोड़ किया है।

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

मैं पूछना चाहता हूं कि इसकी क्या जांच की गयी ? क्या मिस्टर वाही के फ़ाइल पर इस नोट की सत्यता को चुनौती दी जा सकती है ।

मिनिस्टर आफ़ कम्युनिकेशन यहां बैठे हैं । इन्हें पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है । इनके विभाग में क्या हो रहा है, इन्हें उसका पता ही नहीं है । कब इन्होंने बयान दे दिया कि खन्ना साहब का टेलीफ़ोन टेप नहीं किया जा रहा है । अगर आपने उस बयान को ध्यान से पढ़ा होगा तो पाया होगा कि इन्होंने कहा है कि टेप करने के लिये कोई लिखित आदेश नहीं दिये गये हैं । क्या टेप करने के लिये लिखित आदेश देना जरूरी है ? गृह मंत्रालय टेलीफ़ोन की टेपिंग कर रहा है । मैं साबित करने के लिये तैयार हूं । अगर आप पालियामेंट की कमेटी बनायें और उन कर्मचारियों को जो गवाही देने के लिये, बयान देने के लिए, आएं, उन्हें संरक्षण प्रदान करने का आश्वासन दें तो मैं यह साबित कर सकता हूं । उपाध्यक्ष महोदय, अगर मैं साबित नहीं करूंगा तो लोक सभा की सदस्यता से इस्तीफ़ा देने के लिये तैयार हूं और अगर मैं साबित कर दूं. . .

. . . .(**Interruptions**)

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI C. M. STEPHEN): The method is very easy. No Parliamentary Committee is necessary.

It is enough to file a petition before the court. They will ask for the record. Proof can be given there. I challenge him to do it.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (Jadavpur): Accept the challenge.

(**Interruptions**)

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: I gave him a challenge. Hs has given me a counter-challenge. I want a Parliamentary Committee.

SHRI C. M. STEPHEN: I want the court to be used.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: What about those Government employees who will have to appear before the court? What about those Government servants who will be endangering their livelihood and their services? Therefore, what is wrong in appointing a Parliamentary Committee? (*Interruptions*) Sir, they are in a majority; the Committee will have Congress Majority. But yet it is strange, they are not prepared to face such a Parliamentary probe; (*Interruptions*) Yes, we will go to court.

SHRI GIRIDHARI LAL VYAS (Bhilwara): Go to court that is the only solution.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अगर राष्ट्रपति के चुनाव में शासनतंत्र का दुरुपयोग हो तो कोर्ट में जाओ अगर पालियामेंट के मेम्बरों की डाक सेंसर की जा रही हो तो अदालत में जाओ । अगर अदालतें कल को कुछ फ़ैसला दे देंगी तो उनका गला घोंटा जायेगा और अदालतों में जाने वालों से यह कहा जाएगा कि अदालत का दरवाजा एमरजेंसी के बाद खटखटाओ ।

SHRI C.M. STEPHEN: May I submit one thing?

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: I am not yielding.

SHRI C. M. STEPHEN: I just want to tell him this. Sitting in a glass house, he should not throw stones at others. He is making these allegations. I will be compelled to tell the House about the list of persons whose communications were being tapped, in respect of whom written orders were issued that their letters may be intercepted, during the period when they were in power. I will place it before the House. Let us face it; come along. Sitting in glass house, do not blame others.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: So, he has indirectly accepted that letters are being censored. You say there is a list Sir, they themselves were in the

Opposition. It was quite open to them; they could have asked for it; they could have asked for change.

SHRI C. M. STEPHEN: I wish to put it before you. Even now it is there in West Bengal. Posts are being intercepted in West Bengal even today; they are doing the same thing; posts are being intercepted; letters are with me. I am prepared to put it before you. (*Intrruptions*)

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: He will have the right of reply. I don't know why he is losing his patience....

AN HON. MEMBER: Temper.

MR. DEPUTY SPEAKER: He is a present Minister. You are a former Minister. So, it is very difficult for us to proceed in this matter.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: I was Foreign Minister and he is Minister for Communications.

MR. DEPUTY SPEAKER: Anyhow you were also a Cabinet Minister. (*Interruptions*)

SHRI SOMNATH CHATTARJEE: Sir, what is going on there between the Minister for Communications and the Minister for Petroleum?

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: He is showing him the list.

SHRI C. M. STEPHEN: It is between us. (*Interruptions*) It is different from the relationship which you already have found with him. Where is your comradeship in consensus with him, I mean, Mr. Jethmalani? (*Interruptions*)

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: Now it is combustible, I find.

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI P. SHIV SHANKAR): There is no difficulty. You come to this side!

(*Interruptions*)

श्री श्रटल बिहारी वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, इस नोक-झोंक में एक बात तो साफ़ हो गई है कि डाक का सेंसर हो रहा है, टेलीफ़ोन का टैपिंग हो रहा है श्रौर इस सरकार के पास यह कहने के अलावा श्रौर कोई बचाव नहीं है कि जब जनता सरकार थी तब भी ऐसा होता था। मगर मैं जानना चाहता हूं कि जब जनता सरकार थी तब श्राप यहां बैठ कर क्या कर रहे थे ? हम तो श्रावाज उठा रहे हैं श्रौर हमें पता नहीं था।

SHRI C. M. STEPHEN: We were trying to pull you down, and we have done that.

(*Interruptions*)

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: He is jumping up and down only to show that his department is surviving.

(*Interruptions*)

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY (Calcuta South): Telephones remain dead for most of the time. The telephone charges should be renamed as death charges.

श्री श्रटल बिहारी वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, श्रगर जनता सरकार कोई गलती करती है तो उसको श्राधार बनाने का कोई श्रौचित्य नहीं है। यह कोई श्राधार नहीं है एक गलत प्रक्रिया को जारी रखने का। उस समय क्या होता था। मुझे नहीं मालूम। लेकिन जनता सरकार के दौरान जब यह चीज हमारे नोटिस में लाई गई तो कैबिनेट में हमने प्रधान मंत्री से कहा कि यह जो खबरें छप रही हैं यह सच हैं तो उनको रोकना चाहिये। मैं उसमें हिस्सेदार नहीं हूं। लेकिन श्रगर जनता सरकार कुछ गलत कर रही थी तो लोगों ने श्राप को इसलिये चुना है कि श्राप जनता सरकार से कुछ श्रच्छा करके दिखायेंगे। मगर ये क्या कर रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सभा के सदस्य श्री लाल कृष्ण श्रडवाणी हैं। उनको एक पत्र

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

मिला । पत्र के ऊपर लिखा हुआ था– "ट्रिब्यून" एनवलप "ट्रिब्यून" का था । "ट्रिब्यून" चंडीगढ़ से प्रकाशित होता है । उन्होंने समझा कि ट्रिब्यून से कोई पत्र आया है, लेकिन लिफ़ाफ़ा खोला तो पत्र था लाला हंस राज गुप्ता के नाम और आया था वर्धा से । वर्धा से पत्र जो लाला हंस राज गुप्ता के नाम आया था वह ट्रिब्यून के लिफ़ाफ़े में बन्द होकर लाल कृष्ण अडवाणी के पास कैसे पहुंच गया ? ये सेंसर तो कर रहे हैं मगर सेंसर भी अच्छे तरीके से नहीं कर रहे हैं । इस सरकार का निकम्मापन सेंसर में भी साबित हो रहा है । चिट्ठियां सेंसर की जा रही हैं । अडवाणी की और हंसराज गुप्ता की, लेकिन जब चिट्ठियां खोलाने गई तो वहां नाम किसी का, लिफ़ाफ़ा किसी का और पत्र किसी का । क्या इस मामले की आपने जांच की ? श्री अडवाणी ने यह मामला राज्य सभा में उठाया था ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो उन लोगों में से हूं जिनकी सन् 1972 से डाक सेंसर हो रही है—जनता सरकार को छोड़कर । अगर आपको डाक सेंसर करनी है तो उसके लिये कोई प्रक्रिया होनी चाहिये । जिस व्यक्ति की डाक सेंसर की जा रही है, उसको बताइये । डाक सेंसर करने के बाद मोहर लगाकर उस व्यक्ति को पत्र दीजिये । किसी भी अधिकार से आप पत्र-व्यवहार को, चिट्ठी पत्री को नष्ट करने का हक नहीं रखते हैं ।

15.54 hrs.

[SHRI HARI NATH MISRA *in the Chair*].

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह संशोधन विधेयक पेश किया है । मेरा कहना है कि अगर इमरजेंसी देश में घोषित हो जाये, तब इस आसाधारण कानून पर व्यवहार किया जा सकता है । कोई हाई कोर्ट का जज होना चाहिये, जिसके सामने मामला रखा जाये कि यह व्यक्ति या संगठन ऐसी कार्यवाहियों में संलग्न है, जिनसे देश की सुरक्षा को खतरा है । पब्लिक सेफटी का कोई मतलब नहीं है । पब्लिक सेक्यूरिटी क्या चीज है ? चांदनी चौक में थोड़ी सी अशांति हो जाती है तो क्या कमिश्नर को अधिकार मिल जाता है कि व्यक्तियों या संगठनों की आजादी को समयादित ढंग से अंकुश में बांध दे ? इमरजेंसी की स्थिति में, युद्ध की स्थिति में ठीक है । उपाध्यक्ष महोदय आस्ट्रेलिया की असेंबली की रूलिंग है । मगर आस्ट्रेलिया में जो सेंसरशिप का कानून बनाया गया था वह केवल युद्ध के काल के लिये था, शांति के काल के लिये नहीं था । यहां शांति है . . . .

श्री जगपाल सिंह : घर में गड़बड़ है । सास बहु का झगड़ा है । उस वजह से भी हो सकता है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : घर में गड़बड़ है सइसलिये कांग्रेस के पालियामेंट के मेम्बर भी जोड़े गये हैं । मेरा निवेदन है कि मेरे विधेयक में जो संशोधन है उन पर गंभीरता से विचार किया जाये । एक संशोधन यह है कि एमरजेंसी के दौरान ही सरकार को इस अधिकार का उपयोग करने की छुट दी जानी चाहिये । पब्लिक सेफटी और ट्रैंक्विलिटी की जगह सिक्योरिटी आफ इंडिया शब्दों का रखा जाना बहुत जरूरी है ।

दूसरा संशोधन यह है कि जिस व्यक्ति की भी डाक सेंसर की जाये उसको लिख कर सूचना दी जानी चाहिये, उन संगठनों को जिन की डाक सेंसर की जाए, सूचित किया जाना चाहिये । यह भी बताया जाना चाहिये कि उनकी डाक क्यों सेंसर की जा रही है ?

एक पैनल बनाया जाए रिटायर्ड हाई कोर्ट जजिज का जिस का ग्रध्यक्ष कोई हाई कोर्ट का सिटिंग जज हो । सरकार उनके पास जा कर पहले उनको विश्वास में ले, उन्हें यह समझाये कि किसी संगठन की या किसी व्यक्ति की डाक को सेंसर करने के लिये पर्याप्त का ण मौजूद हैं । ग्राज कल छोटे ब ` ग्रफसर जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं उस में छोटे बड़े का फर्क करने की जरूरत नहीं है । यह काम नौकरशाही के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है ।

इस विधेयक पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या होगी मैं नहीं जानता । लेकिन मैं देख रहा हूं कि जिस तेजी से देश की स्थिति बिगड़ रही है, ग्रंग्रेजों के काले कानून लोगों के बढ़ते हुये ग्रसंतोष के ज्वार को नहीं रोक सकते हैं । जो देश का विघटन करने वाले हैं, जो विदेशों के साथ मिल कर साजिश कर रहे हैं उन्हें पंजाब में खुली छूट है । दिल्ली में डाक सेंसर की जा रही है विरोधी दलों के मेम्बरों की । जो सूची है उसमें से कुछ नाम पढ़कर मैं ग्रापको सुनाता हूं । चौधरी चरण सिंह, श्री जार्ज फरनांडीस, श्री लाल कृष्ण ग्रडवाणी, श्री मधु लिमये, श्री महेश बुच, फोर्मर वाइस चेयरमैन, डी० डी० ए०, श्री ग्ररुण शोरी, श्री राम नाथ गोयनका एंड पीस फाउंडेशन, पूरा संगठन, श्री एस बी कुमार, फार्मर हाई कोर्ट जज, श्री इंद्रजीत, एडीटर इंडिया न्यूज फीचर एलायेंस । श्री कुलदीप नायर, सेंटर ग्राफ इंडियन ट्रेड यूनियन ग्राफिस, श्री देवी लाल, श्री सतीश ग्रग्रवाल, श्री बी० जी० वर्गीस, श्री निहाल सिंह, श्री ज्योतिमर्य बसु जिनकी मृत्यु हो गई है ।

सभापति महोदय : लिस्ट बहुत पुरानी मालूम पड़ती है ।

श्री ग्रटल बिहारी वाजपेयी : नई लिस्ट ये बतायें । लेटेस्ट मेरे पास नहीं है । श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री समर मुखर्जी ग्रादि ।

एक माननीय सदस्य : ग्रापका तो इसमें नाम ही नहीं है ।

श्री ग्रटल बिहारी वाजपेयी : मेरा नाम पहला है । मैं उसको पढ़ना नहीं चाहता था । मेरे ऊपर तो बड़ी कृपा है ग्रापकी ।

सभापति महोदय : टेलीफोन भी टैप किया जाता है ।

श्री ग्रटल बिहारी वाजपेयी : जी हां ।

सभापति महोदय : इसका मतलब है कि ग्राप लोगों का टेलीफोन काम करता रहता है । खराब नहीं होता है ।

श्री ग्रटल बिहारी वाजपेयी : यह बिल्कुल सही बात है । खराब होता है तो एक दम फोन करते हैं, टैपिंग रूक गया है, जल्दी ठीक करो ग्रौर सरकारी ग्रफसर ठीक कर देते हैं ।

दो मंत्री बैठे हुये हैं । उनसे मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मैं भी विदेश मंत्रालय में था । मैं भी यह समझता था कि ग्रगर प्रधान मंत्री कह रहे हैं कि किसी का टैप नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा होगा । फिर मैंने गहराई से पता लगाया तो पता लगा कि मिनिस्टर ग्राफ कम्युनिकेशन को पता नहीं था ।

16 00 hrs.

यह काम होम मिनिस्ट्री की तरफ से होता है । उसके ग्रधिकारी ग्रलग से तैनात किये जाते हैं । यह ग्रावश्यक नहीं है कि संचार मंत्री को पता हो । वैसे संचार मंत्री यह मानेंगे नहीं कि उन्हें यह बात पता नहीं है । उन्हें सारे देश ग्रौर दुनिया का पता है, लेकिन ग्रगर पता नहीं है तो ग्रपने विभाग का पता नहीं है—चिराग तले ग्रंधेरा ।

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

गृह मंत्रालय से लोग तैनात किये जाते हैं जो चिट्ठियां इकट्ठी करते हैं, टेलीफोन टेप करते हैं । हम इसकी जांच कर चुके हैं, इसकी पुष्टि हो चुकी है । परमात्मा के लिये इससे इंकार न कीजिये । और अगर ऊपर से इंकार कीजिये भी तो आप अन्दर से समझ लीजिये हो रहा है, उसको रोकने की जरूरत है । यह काला कानून संशोधित होना चाहिये । अदालत ने अगर इस को अस्वीकार कर दिया तो ? तब आप मानेंगे ? पुराने विधि मंत्री बैठे हुये हैं, पब्लिक सेफटी का क्या मतलब है । पब्लिक ट्रांक्वेलिटी? आप डाक नष्ट कर सकते हैं ?

दिल्ली में क्या हो रहा है ? दिल्ली के एक अफसर द्वारा फाइल पर लिखा हुआ नोट पढ़ कर मैंने बताया है कि आपके जो निर्देश हैं उनका भी पालन नहीं हो रहा है । लेकिन एक बार अगर निरंकुशता की ओर सरकार आगे बढ़ेगी तो फिर उसके पांव को थामना बहुत मुश्किल होगा । इस देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र अक्षुण रहना चाहिये । व्यक्तिगत स्वाधीनता पर आंच नहीं आनी चाहिये । संगठनों को अपना काम करने की छूट होनी चाहिये । लेकिन डाक को सैंसर करके और टेलीफोन को टेप कर के आप इस स्वाधीनता पर अंकुश लगा रहे हैं । ऐसा अकुंश जिसका शांतिकाल में औचित्य सिद्ध नहीं किया जा सकता ।

मैं इन शब्दों के साथ अपना संशोधन विधेयक पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि उसे दोनों पक्षों के उन सदस्यों का समर्थन प्राप्त होगा जिनकी आत्मा जागरूक है ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति जी, मैंने भाषण तो अच्छा सुना क्योंकि माननीय वाजपेयी जी का तरीका और लहजा बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकता है । लेकिन आप जो बात कह रहे थे उसके पीछे वजन क्या था इस पर आप खुद ही विचार कर सकते हैं । एक तरफ आप कहते हैं कि इनको अधिकार तो रहना चाहिये, अधिकार तो आप मानते हैं जिसको आप काला कानून कहते हैं । जनता पार्टी को अवसर मिला और यह काला कानून उस समय मौजूद था लेकिन आपने मेहरबानी करके उसको हटाया नहीं । इसके लिये तो आप भी दोषी हैं । देश की रक्षा और जनहित के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है । आज देश में अगर साम्प्रदायिक दंगे होते हैं, जगह-जगह पर हम सुनते है खालिस्तान की आवाज आती है, हमें देश में सुरक्षा कायम करनी है । आप कहिये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सारे सेक्शन खत्म कर देने चाहिये । कानून अपना रास्ता ले लेगा । 107 की कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह कौन कह रहा है ?

श्री मूल चन्द डागा : आप कह रहे हैं कि जो प्रीवेंटिव मेजर्स हैं वह नहीं लेने चाहिये । सरकार अगर आवश्यक समझती है कि ऐसे पत्र जिनसे साम्प्रदायिक दंगों को प्रोत्साहन मिल सकता है, या संस्थायें ऐसा काम कर सकती है, खलिस्तान की मांग को बढ़ावा दिया जा सकता है तो उनको जरूर इंटरसेप्ट करना चाहिये । एक लैटर आया जिसमें लिखा था 3,000 कछावा भेज दीजिये । पुलिस वाले समझ गये कि वहां के लोग क्या मांग रहे हैं ? अगर इस प्रकार के लेटर्स और तारों को इंटरसेप्ट सरकार करती है, तो क्या हर्ज है । आपने आज कहा कि 128 के अन्दर बड़ा बवंडर हो गया । क्या बवंडर हो गया, मुझे मालूम नहीं हुआ । श्री अटल बिहारी जी ने कहा कि अपने नाम की चर्चा मैं नहीं करता और उनसे कह दिया कि मेरे नाम पर यह होता है ।

मुझे यह बताइये कि आपका कौनसा पत्र था जिसको गवर्नमेंट ने देख लिया और आपको मालूम हो गया ? यह कोई संचार विभाग नहीं करता है । पोस्ट एंड टेलीग्राफ एक्ट के अन्तर्गत अगर कोई आफिसर यह जानता है कि देश में ऐसी ताकत काम कर रही हैं जिनकी बातें देश की सुरक्षा के लिये जाननी हैं, मान लीजिये फारेन गुडस आ रही हैं, स्मगलर्स माल भेज रहे हैं तो यह कौन चैक करेगा ? आप कहेंगे कि आपने एमरजेंसी की बात करनी शुरू कर दी । यह ज्यादा खतरा नहीं है, अगर ऐसे पत्र और तार आते हों जिनके कारण देश की सुरक्षा को खतरा हो तो इसमें क्या बात है । साम्प्रदायिक तत्व खड़े हो जाते हैं, जगह-जगह शांति भंग हो जाती है । जब पीस डिस्टर्ब हो जाती है तो हम आगे प्रगति नहीं कर सकते हैं । अगर उस समय गवर्नमेंट जागरूक होकर के काम करती है तो आप कहते हैं कि इससे हमारी आजादी खतरे में हो गई है । मैं आपकी इस आजादी का मतलब नहीं समझा ।

आजादी का मतलब यह नहीं है कि देश की शांति को भंग किया जाये । आप इस आजादी का मतलब यह न ले लें एक ग्रुप के लिये । आज देश में ऐसी साम्प्रदायिक संस्थायें हैं जिनको आप सब जानते हैं । रिपोर्टें आती हैं कि इन संस्थाओं ने यह काम किया है जिनसे साम्प्रदायिक दंगे भड़कते हैं । इनको आप भी जानते हैं, आप अपना नाम ले लीजिये । जब उन संस्थाओं के नाम पर लैटर आते हैं और उन लैटरों को सरकार इंटरसेप्ट करती हो तो इसमें संचार विभाग का एक कानून बनाया गया है । उस कानून के सैक्शन 26 को लेकर आपने अमेंडमेंट कर दिया कि धारा 352 के अन्तर्गत घोषित एमरजेंसी के समय इस कानून को लागू किया जाय ? इस बात का कहां सवाल हैं ? सवाल है कि सरकार को हर समय शांति बनाये रखना जरूरी है । जब देश में शांति होगी तो देश आगे बढ़ेगा । आप चाहते हैं कि देश में इस प्रकार के तत्व पैदा हो जायें, उनको अवसर दे दें कि वह चाहे जैसा काम करें, दंगे फ़ैला दें ? एक तरफ़ हाई जैकिंग हो रही है हवाई जहाज की, मालूम नहीं पड़ता कैसे हो रही है । झगड़े हो रहे हैं, लोग वहां पहुंच जाते हैं । आप क्या यह समझते हैं कि अगर इस प्रकार की कार्यवाही होती तो उसमें सरकार की यह नीति हो कि उनकी आजादी पर हस्तक्षेप न किया जाये ।

बड़े जोरों से आपने एक बात कह दी, लिस्ट पढ़ दी । 68 करोड़ की आबादी में से कुछ नाम आ गये तो मुझे यह बात समझ में नहीं आई कि यह संख्या कितनी परसेंटेज हो गई ? अपनी बात बताने के लिये कभी कभी आप अच्छी बातें कह देते हैं कि लीजिये साहब हमारे बड़े इम्पोर्टेंट आदमी का लैटर इंटरसेप्ट करते हैं । मैं यह कहना चाहता हूं कि किस व्यक्ति को सरकार में इस तरह के कामों की फ़ुरसत है ? सरकार वहां हस्तक्षेप करती है जहां जानती है कि यहां से साम्प्रदायिक दंगों की संभावना हो सकती है, देश की शांति खतरे में पड़ सकती है । शांति भंग नहीं होने दी जा सकती, समग्लर्स की तस्करी रोकने के लिये सरकार को हक है इस तरह के अधिकार उसके पास होने चाहियें ।

अगर सरकार प्रीवेंटिव मेजर्स लेती है तो आपने आर्टिकल 352 में उठाकर यह रख दिया कि एमरजेंसी के टाइम में ही यह हो सकता है । यह आपको किस ने सलाह दी है ? मेरे ख्याल से यह तो आपको किसी और ने सलाह दी होगी कि जब एमरजेंसी लागू हो तभी पत्र को देखें । एमरजेंसी की स्थिति पैदा ही क्यों की जाये, उसके पहले ही कदम उठा लेना चाहिये ।

एक माननीय सदस्य : एमरजेंसी ही रखिये ।

श्री मूल चन्द डागा : एमरजेंसी मत रखिये, लेकिन गवर्नमेंट को जागरूक और सतर्क रहना चाहिये ऐसे तत्वों से जो यह पैदा हो गये हैं ।

(व्यवधान)

मेरा नाम उसमें नहीं है । जो शक्तियां अमरीका से दोस्ती रखती हैं, उनके नाम उसमें होंगे ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : मेरा नाम भी उसमें नहीं है ।

श्री मूलचन्द डागा : जो तत्व हिन्दुस्तान में अशांति फ़ैलाना चाहते हैं, उनके पत्रों को रोकने और उनकी जांच करने का अधिकार सरकार को होगा । क्या माननीय सदस्य को कोर्ट के न्याय में विश्वास नहीं रहा ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हम कोर्ट में तो जायेंगे ही ।

श्री मूल चन्द डागा : जाने का हक दिया है, इसलिये जायेंगे । यह एक छोटी सी बात है, लेकिन माननीय सदस्य ने बात का बतंगड़ बना दिया है । उन्होंने दीया तले अंधेरे की बात कही है । अंधेरा तो दूसरी जगह है, जिसको हम रोकना चाहते हैं । आज देश में ऐसी ताकतें हैं, जो देश को खंडित करना चाहती हैं, देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहती हैं । सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह ऐसी संस्थाओं की कार्यवाहियों की सतर्कता से जांच करें और इसके लिये उनके लैटर्ज को इंटरसेप्ट करे । कुछ लोग देश को विभाजित करने पर तुले हुये हैं । कुछ लोग सिखस्थान का नारा लगाते हैं । कुछ लोग जम्मू काश्मीर में गड़बड़ पैदा करना चाहते हैं ।

माननीय सदस्य ने यह नहीं बताया है कि उनका कौन सा लैटर इंटरसेप्ट किया गया है । उन्होंने इसे एक काला कानून कह दिया है । क्या यह पुराना कानून होने से ही काला बन गया है ? रेलवे एक्ट और कई दूसरे कानून बहुत पुराने हैं । आर्टिकल 352 के अन्तर्गत एमरजेंसी कब लागू होगी । हम इमरजेंसी लागू नहीं करना चाहते हैं । जनता चाहती है कि देश में कानून और व्यवस्था कायम रहे और लोगों को सुरक्षा मिले । सरकार केवल उन तत्वों को रोकना चाहती है, जो देश को विघटित करना चाहते हैं । मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि वह बात का बतगंड़ न बनायें और इस संशोधन पर जोर न दें ।

SHRI SUSHIL BHATTACHARYA (Burdwan): I rise to support the Bill. Section 26 of the Indian Post Office Act, 1898 was enacted during the British rule with the specific aim of curbing and restricting civil liberties. After independence it was reasonably expected that the Government would repeal this section which allowed such abhorrent practice of interception of letters of the individuals and associataions of free India. But we find that the Government of India did not revoke it. Nor did it modify some of its provisions which are open to being misused by the Ruling Party in power.

During the British Raj interception of letters was at least not apparent. But the present mode of tampering it is crude as well as humiliating.

In Western democratic countries, leters are not intercepted except in a grave situation of war or something like that. But in India intercepting or pinching has become the normal practice. I may cite here an example of my own experience about two decades ago. I wrote a registered letter from Burdwan to our departed leader Comrade Bupesh Gupta the veteran Parliamentarian then in Delhi. That was a registered letter, acknowledgement due. To my surprise I received the acknowledgement card the very next day, bearing the seal of Burdwan post office.

Later, on my enquiry I came to know that the letter did not reach him.

The victims of this practice are very naturally political opponents, journalists and Members of Parliament. This method is often resorted to not because the security of the country is in danger but solely to serve the narrow party interests. Information collected from intercepted letters is even passed on to employers of industries and landlords to suppress people's movement. In a situation like this, the civil liberty of a free citizen becomes a travesty of the term. If the dignity of a citizen of a democratic country is to be upheld and he is to be saved from the ignominy he suffers now, the Government should accept the proposed amendments which are long overdue. In view of what I have stated and what I strongly feel, I support the Bill.

SHRI XAVIER ARAKAL (Ernakulam): When the Indian Telegraph (Amendment) Act was before the House, at that time, this House had the occasion to analyse both the theoretical aspect as well as the practical aspect as to where the civil liberty of the citizen ends and where the rights and duties of the State begin. We had also the occasion to say that for the proper and efficient administration of the country, certain degree of control is imperative and mandatory.

The contents of this Bill are not different from the earlier Bill which was moved by hon. Member, Shri Jha.

While listening to the hon. Member, Shri Vajpayeeji, I was thinking as to what was happening in our country.

He has put forward certain reasons in the Statement of objects and Reasons. But those reasons are not convincing at all. The grounds mentioned therein are not the grounds on which we can support the Bill either.

In a democratic set up, we have a liberalised individual liberty but not at the cost of the country's security and tranquillity. Hon. Member was asking about the meaning of tranquility and social security. But these terms have been well defined by the High Courts and the Supreme Court.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: What is the meaning?

SHRI XAVIER ARAKAL: You come to my chamber.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: The Hon. Speaker has set a bad precedent of calling every Member to his chamber. From Speaker to Arakal, everything is to be discussed in the chamber. Why can you not tell us here? Perhaps, he has not got the permission from the palace.

MR. CHAIRMAN: You have just invited him to your chamber. I think you have no objection in going to his chamber.

SHRI XAVIER ARAKAL: They are in capable of enlightenment; they cannot be enlightened. It is impossible. Certain people are like that.

I think in their inner hearts they are afraid that this provision may be resorted to during emergency. In other words, they contemplate in their mind the possibility of emergency and so they want to protect the security of the individual. I ask the hon. Member one question. Cannot that principle be extended to the security and tranquillity of the State as a whole? Cannot we take into consideration the totality of the Government within the framework of the society in which we live, especially in a democratic country like ours? This is a point where we differ from him.

It is said that India is one of the largest and greatest democracies in the world.

MR. CHAIRMAN: There is no doubt about it.

SHRI XAVIER ARAKAL: You may not be in doubt about it, I am not in doubt, the people of this country are not in doubt, but some people have doubt about it. This is an old Act.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: Normally your performance is good. But this is not one of your good performances. Shri Stephen is from Kerala, although he

[Shri Somnath Chatterjee]

is now from Gulbarga. He has polluted you, perhaps.

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI C. M. STEPHEN): Where is he running away now? From pollution perhaps.

SHRI XAVIER ARAKAL: There are certain norm within which this section is functioning. There are certain other provisions in the same Act which, one way or the other, curtail or restrict the liberty of the citizens. If you look at clause 23, there is a bar on the transmission of mail. I do not know why he did not refer to it.

I would suggest to the hon. Minister that it is high time that we had a fresh look into the working of the Indian Post-office Act, 1898. With our experience of its working all these years, we should have a closer look at it to make it more efficient so that there is no lacuna in the functioning of the postal system in this country.

In sub-clause 1(d) of the Bill the hon. Member suggests:

> "Provided that the person or the association of persons whose postal articles are to be intercepted or detained shall be so informed in writing beforehand alongwith the reasons for so to do;"

This is an impractical proposition. Suppose a person is indulging in subversive, anti-national or anti-social activities, he is liable to be caught and punished. Is it necessary to inform him in advance if his mail is to be intercepted? I fail to understand the reasoning behind this. Perhaps, the hon. Member has not thought of the implications of incorporating such a provision in the Act.

We have a great tradition from times immemorial to respect the individual liberty. We have a system of Government in this country where the individual liberty is protected. The fundamental rights of our Constitution provide sufficient protection to our individual as well as collective rights. But, we have to bear in mind, that reasonable restrictions on such rights are provided by the same Constitution.

Therefore, I would conclude by submitting that the amendment suggested by the hon. Member is unwarranted and is not at all required. At the same time, I would request the hon. Member, who has experience of the working of this Act, to come forward with a comprehensive Bill, covering all aspects of the working of the postal system in our country. With these words, I oppose this Bill.

*SHRI S. MURUGIAN (Tiruppattur): Mr. Chairman, Sir, I rise to support the Indian Post Office (Amendment) Bill which has been moved by my hon. friend Shri Atal Bihari Vajpayee.

Sir, you must have noticed that the parent Act was enacted 84 years ago during the British rule in India. Two World Wars have taken place in this period of eight and half decades. Man has gone to the moon and has brought stone and sand from there. Remarkable scientific achievements have been made during this period. But this Bill Act continues to be in force without any change.

We used to send messages through birds.

Then we switched over to mail runners. Now we have got sophisticated scientific gadgets to send messages instantaneously. We are sending messages and communications through air. Many such developments have taken place all over the world in the matter of sending and receiving communications. But, even in this age, it is really anarchronism that the mail should be intercepted by the Government in power. In a democracy the people have their basic rights to dissent and to write and to propagate their view-points. Our Constitution guarantees these fundamental rights to our citizens. Naturally it will be an encroachment on the fundamental rights of our people, if their communications are to be intercepted by the Government for one reason or the other. Just because Shri Vajpayee has brought this

*The original speech was delivered in Tamil.

bill, the hon. Minister should not reject this Bill outright. It would be in consonance with democratic concepts if he accepts this Bill; otherwise, he can bring on his own another Bill incorporating this amendment.

Here I am reminded of certain things. Our narrators of Puranas used to say that if one wants to occupy the throne of Indra, in whose Indralok he can enjoy all the good things of life, he has to perform penance and yagnas. This meant that Indra can change. The man who performs the severest penance and yagnas can become Indra. But, all the while Indrani, his queen, remains the same. Like that, this Act has remained the same all this while. Whether they performed penance or yagnas many Ministers have come and gone, without trying to look at this old Act.

In Tamil Nadu, the letters of M.L.As. and M.Ps. are intercepted. From my constituency, some people wrote to me about the need for a High School. This petition had been signed by some people belonging to the ruling party in Tamil Nadu. Before I got this communication, these people had been warned by the ruling party in Tamil Nadu for signing the communication sent to the M.P. belonging to opposition D.M.K. party. This meant that this communication had been intercepted. The Congress-I M.Ps from Tamil Nadu are no exception to this taping of letters and taping of telephonic conversations. Even the Central Ministers visiting Tamil Nadu are not spared. Their telephones are also taped as if they have come to Tamil Nadu to dismiss the AIADMK Government there. I am sure that the Central Ministers must have come to know about this through their own sources.

I have referred to this because these things are not in the interest of democracy. This will endanger our democratic ideals enshrined in the Constitution. The hon. Minister should ponder over this problem in this background and he should *suo motu* bring an amending Bill, if he cannot accept this Bill under discussion, which will be supported by the entire house unanimously.

श्री जगपाल सिंह : (हरिद्वार) : सभापति महोदय, सर्वप्रथम तो मैं माननीय वाजपेयी जी को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इस अमेंडिंग बिल को यहां पेश किया और इस सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है। दुर्भाग्य की बात यह है कि शासक पार्टी के लोग कह सकते हैं और कहा भी है कि 34–35 सालों की आजादी के बीच में दो ढाई साल के लिये विरोध पक्ष में बैठे हुये लोगों की सरकार यहां बनी थी, उस समय इस बिल में अमेंडमेंट क्यों नहीं किया गया। आजादी की लड़ाई लड़ते हुये पं॰ जवाहर लाल नेहरू ने 1939 में कहा था—"अंग्रेज संचार और दमन के द्वारा ही इस देश के लोगों की छाती पर अपने साम्राज्य का पंजा गड़ाये हुये हैं।" शायद उस वक्त पं जवाहर लाल नेहरू को यह मालूम नहीं था कि एक दिन उनकी अपनी बेटी श्रीमती इंदिरा गांती भी उसी रास्ते पर जाएगी, जिस रास्ते पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद चल रहा था। 1975 की एमरजेंसी इस देश के लोग भुगत चुके हैं और आज भी बगैर घोषित हुए आपातकालीन जैसी स्थिति देश पर थोप दी गई है। हमारे देश के संविधान के निर्माता इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि जनतंत्र और आजादी के क्या मायने हैं। जनतंत्र और आजादी एक दूसरे के पूरक हैं। अगर इस देश में आजादी नहीं है—किसी के साथ पत्र व्यवहार करने की, खुल कर टेलीफोन पर बात करने की, अखबार वालों को यह आजादी नहीं है कि सरकार के खिलाफ जनता तक अपनी बात पहुंचा सकें—तो वह क्या जनतंत्र है, ऐसी स्थिति में तो इस देश का जनतंत्र भी खतरे में पड़ जायेगा और हमारी सरकार आज उस तरफ बढ़ रही है।

इसलिये मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं—चाहे रूलिंग पार्टी के सदस्य हों या विरोध पक्ष के सदस्य हों—एक जुट हो कर इस आजादी के लिये लड़ाई लड़ें। आप को श्री वाजपेयी जी के

[श्री जगपाल सिंह]

इस बिल का समर्थन करना चाहिये तथा एक साथ यह घोषणा करनी चाहिये कि 1975 जैसी स्थिति इस देश में पैदा नहीं होने देंगे, चाहे इस देश के लोगों ने आजादी से पहले जो लड़ाई लड़ी थी, उसी तरह की लड़ाई हमको अब भी क्यों न लड़नी पड़े। पं० जवाहरलाल नेहरू ने उस वक्त जो कुछ कहा था, आज उन की बेटी श्रीमती इन्दिरा गांधी उस का उल्टा कर रही हैं। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो लिस्ट दी है और जो "इन्डिया टूडे" में छपी है, उस पर नहीं जाना चाहता। वाजपेयी जी ने तफ़सील से उस पर अपने विचार रखे हैं लेकिन अभी परसों जो ब्यान मेनका गांधी ने दिया है, उस में उन्होंने इस बात का इशारा किया है कि मेरी डाक सेंसर की जा रही है और उन का टेलीफोन भी सेंसर किया जा रहा है। आज देश में ऐसी स्थिति बन गई है कि प्रधान मंत्री को अपनी बहू पर भी विश्वास नहीं रहा है, तो फिर हम लोगों पर, अपोजीशन के लोगों पर और देश के दूसरे लोगों पर कैसे विश्वास हो सकता है।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : क्या बात कर रहे हो?

श्री जगपाल सिंह : यह ब्यान आया है। माननीय वाजपेयी जी ने इस कानून में संशोधन करने के लिए तफ़सील से अपने विचार रखे हैं, इसलिए मैं इन की तफ़सील में नहीं जाना चाहता लेकिन मैं खास तौर से यह निवेदन करूंगा कि आज जरूरत इस बात की है कि देश की आजादी के लिए, जनतंत्र के लिए इस तरह का जो कानून बना हुआ है, उस में संशोधन की आवश्यकता है। अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य को बचाने के लिए और उसे मज़बूत करने के लिए यह काला कानून बनाया था लेकिन आज जब देश के लोग आजाद हैं तो उस आजादी के रहते हुए लोग पत्र व्यवहार खुल कर न कर सकें, तो यह सही नहीं होगा। आज उसको खुल कर पत्र-व्यवहार का अधिकार नहीं है और यह सरकार भी वही काम कर रही है जो अंग्रेज करते थे, तो मुझे यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि यह अपने परिवार का साम्राज्य-वाद इस देश के लोगों के ऊपर थोपना चाहते हैं और श्रीमती इंदिरा गांधी की यह साजिश है और वे उस तरफ़ बढ़ रही हैं। अभी हमारे ज्ञानी जैल सिंह का जो चुनाव हुआ है राष्ट्रपतिपद के लिए . . .

एक माननीय सदस्य : अभी राष्ट्रपति का चुनाव कहां हुआ है

श्री जगपाल सिंह : पार्टी ने उन को राष्ट्रपति पद के लिए केंडीडेट चुना है, मेरे कहने का मतलब यह है और पार्टी के लोगों ने भी कहां किया है, वह सिर्फ श्रीमती इन्दिरा गांधी ने किया है और कांग्रेस पार्टी के लोग हम अपोजीशन के लोगों से यह बात कहते हैं कि यह सलेक्शन श्रीमती इन्दिरा गांधी ने किया है।... (व्यवधान) . . . वाजपेयी जी ने अपनी स्थिति साफ कर दी है। जनता पार्टी के राज्य के अन्दर अगर यह काम हुआ है, तो मैं बिल्कुल उस का समर्थन नहीं करूंगा। जनता पार्टी ने अगर यह काम किया था, तो वह भी सही नहीं थी और माननीय वाजपेयी जी जब उस समय सत्तारूढ़ पार्टी में थे, तो इस कुकर्म का उन को विरोध करना चाहिए था। मुझे मालूम है कि श्री जार्ज फर्नान्डीज जब जनता पार्टी में थे, तो उन का टेलीफोन टेप होता था और उन की डाक सेंसर हुआ करती थी। वह ग़लत काम था। ऐसा काम चाहे जनता पार्टी ने किया हो या कांग्रेस पार्टी कर रही हो, दोनों ही ग़लत हैं और मैं इस का विरोध करता हूं और उम्मीद करता हूं कि सत्तारूढ़ पार्टी इस से लेसन लेगी और इस कानून में जो संशोधन

वाजपेयी जी ने दिये हैं, उन को सरकार स्वीकार करेगी।

जो सुझाव माननीय वाजपेयी जी ने दिये हैं, मैं उन का समर्थन करता हूं और आप को धन्यवाद देता हूं कि आप ने मुझे बोलने का समय दिया।

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : माननीय सभापति जी, जनाब वाजपेयी साहब ने जो एमेंडमेंट इन्डियन पोस्ट आफिसेज बिल के लिए लाए हैं, उस पर मैं चन्द ख्यालात आप के सामने रखना चाहता हूं।

जहां तक सेंसरशिप का ताल्लुक है, माननीय वाजपेयी जी ने उस की मुखालफत नहीं की है और मेरा भी यही विचार है कि सेंसरशिप होनी चाहिए और वह भी उस सूरत में जहां हमारे मुल्क की सिक्यूरिटी पर वह असर करती हो लेकिन मेरी तजवीज यह है कि मौजूदा एक्ट में जो स्टेट गवर्नमेंट को सेंसरशिप के लिए अख्तियारात दिये गये हैं वे नहीं होने चाहिएं। सारे मुल्क में एक सेंसरशिप एजेंसी हो जो इसको देखे। (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : आप जो बिल पेश किया गया है, उसी पर बोलिये।

श्री पी० नामग्याल : मैं उसी पर बोल रहा हूं।

जनाब मैं यह कह रहा हूं कि मैं भी ऐसी ही सेंसरशिप का शिकार हुआ हूं। हाल ही में मैंने लेह से चार लेटर पोस्ट किये थे। एक लेटर डिफेंस मिनिस्टर के नाम, दूसरा लेटर श्री राजीव गांधी के नाम, तीसरा लेटर श्री गुलाम नबी आजाद के नाम और चौथा लेटर अपनी स्टेट के प्रदेश कांग्रेस प्रेजीडेंट मुफ्ती मोहम्द सईद के नाम। डिफेंस मिनिस्टर साहब को तो मेरा लेटर पहुंच गया है लेकिन बाकी के जो तीन लेटर मैंने भेजे थे वे आज तक नहीं पहुंचे हैं।

मैंने उसमें यही लिखा था और डिफेंस मिनिस्टर साहब से गुजारिश की थी कि हमारे यहां 30 जून और 1 जुलाई को एक मेला लगता है, डिफेंस मिनिस्टर साहब वहां 27–28 जून को आने वाले थे, मैंने उनको सजेस्ट किया था कि वे 30 जून और 1 जुलाई को वहां आएं। इसी तरह से मैंने अपनी पार्टी के लोगों का भी प्रोग्राम बनाया था। लेकिन आज तक वे तीन लेटर मेरी पार्टी के लोगों को नहीं मिला है।

मैं यह मानता हूं कि सेंसरशिप तो जरूरी है और नेशनल इन्ट्रेस्ट में है, अपने मुल्क के इन्ट्रेस्ट में है। मणिपुर में पी० एल० ए० है, कश्मीर में प्लेबसाईट फ्रंट के लोग अभी तक तरह-तरह की साजिशें चला रहे हैं, उसी तरह से पंजाब में खालिस्तान की बात चल रही है। ऐसी चीजों के लिए सेंसरशिप की जरूरत है। लेकिन यह स्टेट के हाथों में नहीं होनी चाहिए। इसलिए आपका जो डाक तार का पुराना बिल है, उसमें आपको तरमीम लानी चाहिए। इसी के साथ मैं वाजपेयी जी से गुजारिश करूंगा कि वे अपना तरमीम बिल वापस ले लें।

شری پی - نام گیال (لداخ) :

مانئیے سبھاپتی جی - جناب واجپائی صاحب نے جو امینڈمینٹ انڈین پوسٹ آفسز کے بل کے لئے لائے ہیں اس پر میں اپنے خیالات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں -

جہاں تک سینسر شپ کا تعلق ہے مانئیے واجپائی جی نے اس کی

[شری پی - نام گیال]

مخالفت نہیں کی ہے اور میرا بھی یہی وچار ہے کہ سنسر شپ ہونی چاہئیے اور وہ بھی اس صورت میں جہاں ہمارے ملک کی سیکوریٹی پر وہ اثر کرتی ہو لیکن میری تجویز یہ ہے کہ موجودہ ایکٹ میں جو اسٹیٹ گورنمنٹ کو سنسر شپ کے لئے اختیارات دئے گئے ہیں وہ نہیں ہونے چاہئیں - سارے ملک میں ایک سنسر شپ ایجنسی ہو جو اس کو دیکھے - (انٹرپشن) . . . .

سبھاپتی مہودے (شری ہری ناتھ مشرا) : آپ - جو بل پیش کیا گیا ہے ؟ اسی پر بولئیے -

شری پی - نام گیال : میں اسی پر بول رہا ہوں -

جناب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں بھی ایسی ہی سنسر شپ کا شکار ہوا ہوں - حال ہی میں میں نے لیہہ سے چار لیٹر پوسٹ کئے تھے - ایک لیٹر ڈیفینس منسٹر کے نام دوسرا لیٹر شری راجیو گاندھی کے نام تیسرا لیٹر شری غلام نبی آزاد کے نام اور چوتھا لیٹر اپنی اسٹیٹ کے پردیش کانگریس پریزیڈینٹ مفتی محمد سعید کے نام - ڈیفینس منسٹر صاحب کو میرا لیٹر پہنچ گیا لیکن باقی کے جو تین لیٹر میں نے بھیجے تھے وہ آج تک نہیں پہنچے ہیں -

میں نے اس میں یہی لکھا تھا اور ڈیفینس منسٹر صاحب سے گزارش کی تھی کہ ہمارے یہاں ۳۰ جون اور یکم جولائی کو ایک میلا لگتا ہے ڈیفینس منسٹر صاحب وہاں ۲۷-۲۸ جون کو آنے والے تھے - میں نے ان کو سجیسٹ کیا تھا کہ وہ ۳۰ جون اور یکم جولائی کو وہاں آئیں - اسی طرح سے میں نے اپنی پارٹی کے لوگوں کا بھی پروگرام بنایا تھا - لیکن آج تک وہ تین لیٹر میری پارٹی کے لوگوں کو نہیں ملے ہیں -

میں یہ مانتا ہوں کہ سنسر شپ تو ضروری ہے اور نیشنل انٹریسٹ میں ہے اپنے ملک کے انٹریسٹ میں ہے - مثلاً یورپ میں پی - ایل - اے - ہے کشمیر میں (*plebisite front*) پلے بسائٹ فرنٹ کے لوگ اسی طرح طرح کی سازشیں چلا رہے ہیں اسی طرح سے پنجاب میں خالصتان کی بات چل رہی ہے - ایسی عنصر کے لئے سنسر شپ کی ضرورت ہے - یہ اسٹیٹ کے ہاتھوں میں نہیں ہونی چاہئیے - اس لئے آپ کا جو ڈاک تار کا پرانا بل ہے اس میں آپ کو ترمیم لانی چاہئیے - اسی کے ساتھ میں واجپائی جی سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا ترمیمی بل واپس لے لیں -

SHRI RAM JETHMALANI (Bombay North-West): Mr. Chairman, Sir, I support the principle and the substance of

this Bill. So far as the verbal text of the Bill is concerned, on the principle and the substance being accepted, perhaps the Bill could be made still better. It is good enough. But it is capable of being textually improved.

Sir, I have heard with attention the three speeches which have been delivered from the Treasury Benches. The three speeches remind me of what happened during the Watergate incident in U.S.A. While President Nixon was being impeached for having broken into the Democratic Party's headquarters for the purpose of getting information which he thought would be politically valuable to him. He at least was ashamed of it. He knew that he had committed a wrong against the Constitution of the United States, that he had committed an offence against the law of the United States and, in any event, that he had committed an offence against that subtle thing called the religion of freedom and democracy. So, he denied those acts and he repudiated the evidence of his involvement in those acts. But while Mr. Nixon was ashamed of what he had done and was trying to conceal it, a friendly newspaper in Thailand published an article which justified what President Nixon was doing in the United States; they wanted to curry favour with the United States President, and the newspaper in Bangkok said exactly what these three distinguished Congressmen have said today before this House. What they said in substance was this. How can a President of any country rule and act as President unless he knows what his political opponents are doing and what President Nixon has done is perfectly right. The difference between President Nixon and the Thai newspaper editor was that, whereas Mr. Nixon had violated the norms of democracy and he knew it, there were people in Thailand who did not even know what democracy required. This is the trouble with my friends on the other side.

I must congratulate my leader because, by this Bill, he has sought to remove what I regard as a relic of the colonial times, what I regard as an instrument of tyranny and autocracy, what I regard as a symptom of contempt for the rights of citizens and, above all, what I regard as a Constitutional incongruity surviving in the year 1982, an incongruity which the Government which has been in power for the last three decades in this country ought to have removed if it had any attachment to the spirit or even the letter of the Constitution.

First of all, let us understand what this obnoxious section 26 of the Indian Post Office Act does. The post-office is not a sovereign body; the post-office is a public utility concern run by the Government and the post-office charges the citizen for the services which it renders. When an article is posted as one place to be delivered to another person at another place, the post-office, for compensation, agrees to become an agent of the consignor, and in some cases an agent of the consignee, to deliver the article and to transport it from one place to another; the post-office remains a trustee and an agent of that article. And when the Government, which is running the post-office, assumes the power to itself to secrete an article which is being held by it as a trustee, a trust which is not gratutious but a trust which has been created for reward, for monetary compensation the citizen is paying—not only does this section 26 enable the Government to commit a theft but it also enables them to do something which anybody should be ashamed of, at least an ordinary citizen should be ashamed of—the officer not only commits a theft but permanently appropriates the stolen property to himself because he can secrete it away, he can dispose it of, he can put it in a museum or some officer can even put it in his pocket and say that he got it in the interest of public tranquility, and so on and so forth.

What is worse, if you are taing charge of any article in the custody of post-office sometimes it may be a letter and sometimes it may be a valuable article—you are taking charge of that article which belongs to somebody else without any corresponding liability to pay any compensation, real substantial or even illusory, which the Constitution of India requires.

The section, therefore, is in direct breach of the rights of citizens, and if it is in direct breach of the rights of the citizens, any Government which has some regard

[Shri Ram Jethmalani]

for the rights of citizens should, itself, have come forward and said that they would remove this incongruity, the inconsistency, because it is a disgrace upon the Statute Book and the disgrace ought not to be perpetrated one moment longer than is necessary. But such is the effect of power: anybody who gets power gets corrupted by it. The Britishers had exercised this power for a long time, and when the Congressmen found that they had this power of keeping a watch over their political opponents, they succumbed to the temptation of retaining that power in their hands, and power has corrupted them. Mr. Atal Bihari Vajpayee has only warned you: please remove this symptom, this is a symptom of the past and it does not do any credit to the form and the look of our Statute Book.

Mr. Daga has thought, and wrongly thought—I do not blame him—as if this section is necessary for the purpose of criminal investigation into serious crimes which may be being carried on against the State. He said, 'Oh!, this section is very necessary because the Government must know that there are people who are trying to bring about a break-up of society. They are trying to destroy the integrity of the country.' So, these are emotional arguments which are devoid of any rational purpose or content. If there is a group of persons which is entering into a conspiracy or which has entered into a conspiracy for the people of destroying the integrity of the country or affecting it independence or creating, widespread disorder or rebellion or breach of tranquillity as it is called, surely those persons have either by the very fact of meeting together, putting their heads together, entered into a criminal conspiracy or have entertained designs to commit cognisable offences in the future. For the purpose of meeting consummated offences as also for the purpose of frustrating designs to commit offences in future, the ordinary powers of investigations which are created by the Code of Criminal Procedure are perfectly adequate. If an article, whether it be a letter, whether it be a cheque or whether it be any other article whatsoever in the custody of the Post Office is necessary for the purpose of investigating into any crime and much more so, if it is necessary for the investigation of a crime on which the security and tranquility of the society depends, the ordinary powers of the District Magistrate and the Chief Judicial Magistrate to issue proper search warrants under Sec. 93 of the Code of Criminal Procedure are adequate. But the difficulty and the difference—and the difference creates the difficulty—between the ordinary law of the land and this obnoxious Sec. 26 of the Post Office Act is that if under the Criminal Procedure Code you seize an article, there will remain a trace of your action, there will remain a record that you have done so but under this Post Office Act you wipe out all evidence of your crime against the rights of the citizen. It is a clandestine activity which is contrary to all canons of fair investigation and fair play. Of course, there is no power however draconian, however mischievous, however obnoxious which power cannot in some given situations be used for some good purpose. Every bad power, every evil power can be used for some good purpose and merely because it is capable of being used theoritically for some good purpose, need not make us blind to the vast misuse of that power. The vast misuse of that power is apparent and is conclusively proved by the admission of Mr. Stephen. Mr. Stephen did say that the Janata people used to do this. Sir, if the Janata people did that, they were equally guilty and they deserve to be condemned if they did anything of that kind. But two wrongs do not make one right. Mr. Stephen tells us that because Janata did it, he is trying to outdo the Janata itself. If today when there is no threat to tranquility, when there is no serious emergency in the country, when we are at peace, when we are in a normal state of affairs except the abnormality which the Government itself has created by its own corruption and incompetence, if in that situation, they continue to exercise those powers under the Post Office Act, that itself is the greatest admission of the misuse of the power to which this Section 26 is capable of being put.

Atal Bihariji has said in his amendment that you must substitute expression which

are capable of a definite meaning. My friends on the other side do not seem to be aware or perhaps Mr. Stephen does not seem to be aware that there has been an eternal controversy between the bureaucrats and the Government on the one hand and men of reason and common sense on the other and the Judiciary on the third as to what is the meaning of public safety, what is the meaning of public tranquillity, what is the meaning of public order and what is the meaning of these vague expressions like Public emergency, security of State and so on. I can give you illustrations in which the bureaucratic mind and the Minister's mind can be widely different from the functioning of an ordinary rational mind of the ordinary citizen. Supposing a Minister went to meet a lady and the incensed relatives of that lady beat him up and created a public commotion, the Minister might well think that tranquility has been disturbed and 'Now, I can start intercepting letters and telegrams.' These are not imaginary situations. These are situations from actual life. I do not wish to name the people. People have been beaten up in circumstances I have described. They have got into the hospitals under some other excuse. These things happen in life.

Therefore, a reasonable man can differ from the bureaucratic or the ministerial understanding of this expression. Sir, when you open the Law Reports you will find in every single Volume of the Supreme Court Report the letting of detenus who have been detained on the ground of their activities being a threat to public order. Bureaucrats have detained; the ministers have detained; sometimes even the high courts have supported their detention orders. The Supreme Court, in a series of judgments, have said that you people do not seem to know what public order means. The elasticity of definition is always an attribute of dictatorship. You can describe the wrongful activities in such elastic terms, in such ambiguous terms that you can take, within the catch all of the elastic expressions almost anybody. The most obnoxious provision in Section 26 is not Sec. 26(1) but Section 26(2).

Section 26(1) puts at least a reasonable limitation that you can act when there is public emergency, when there is a threat to tranquility and when there is a threat to safety. But, Sir, sub-section (2) wipes out everything. It says that:

> "A situation of threat to tranquility, public safety and the emergency would be deemed to have conclusively arisen when the Government thinks so."

In other words, you frame a law which may, on the face of it, appear to be a very reasonable law for example, one which says the criminals must be punished but, in the next section you say that a criminal is one, whom Mr. Zail Singh thinks so or Shri Stephen thinks to be a criminal, that would be conclusive. This is a sign of autocracy; this is a sign of dictatorship. You first have a law in very high sounding term to make it appear reasonable. With the left hand you take away what the right had has given. The amendment seeks to substitute in place of this elastic formula, this elastic, flexible, formula, which is capable of grace misuse—a definite formula which everybody understands.

In the amendment, Shri Atal Behariji says that it must be the period of emergency as understood in Art. 352 of our Constitution. If I have to draft this, I would perhaps say that during the period when proclamation of emergency in Art. 352 is in force. That makes it a reasonable law because, in an emergency, fundamental rights have to yield to the exigency of the State and it may be possible then to argue rationally that, after all, we have a situation in which fundamental rights cannot be given full effect to. Therefore, we must take upon ourselves this power to seize property, etc. So, Sir, I suggest that this amendment ought to be accepted and, I think, it is time that the Government go on to the task of formulating even a more effective amendment than what has been formulated in the present Amending Bill before you. Perhaps you will be acknowledging that you have some commitment to freedom and democracy. You will perhaps be able to make belated claim that you respect the verities of our Constitution.

17.00 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

MR. DEPUTY SPEAKER: Shri Harish Kumar Gangwar.

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : उपाध्यक्ष जी, आज जो भाषण माननीय अटल जी के ऊपर माननीय डागा जी, माननीय अराकल जैसे विद्वान व्यक्तियों ने दिये उनसे ऐसा लगता है कि वास्तव में जो विरोधी दल कहते हैं कि इनकी जनतंत्र में आस्था नहीं है, वह बिल्कुल सिद्ध हो रहा है। हमारे जो डाक तार मंत्री हैं इनसे तो कुछ आशा ही नहीं। नम्बर एक, इनको कुछ मालूम नहीं है, सारा काम नम्बर 1 सफदरजंग से चलता है। नम्बर दो, यह कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जो मंत्री यह कहता है कि अगर तुम्हारा टेलीफोन ठीक काम नहीं कर रहा है तो इसे कटवा लो, और देश के अन्दर कितने अनआथोराइज्ड ट्रांसमिटर्स लगे हुए हैं उनका पता नहीं लगा सकता, और पता लगा ले तो कुछ कर नहीं सकता .... स्मगलर्स के कम्युनिकेशन सिस्टम पर कोई असर, प्रभाव नहीं डाल सकते, तो उस मिनिस्टर से हम क्या उम्मीद करें कि वह इस बारे में कुछ कर सकेंगे। वह अगर चाहें भी तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर से हुक्म है कि ऐसा किया जाये। जैसा ऊपर से हुक्म होगा, वैसा ही मंत्री जी करेंगे।

संविधान में भाषण, अभिव्यक्ति और विचार की स्वतंत्रता दी गई है। जैसा कि इस पक्ष के माननीय सदस्यों ने कहा कि चिट्ठी-पत्री का पढ़ा जाना या टेलीफ़ोन का टेप किया जाना यह भी संविधान के विपरीत है, यह उस प्रावीज़न के खिलाफ़ जाता है। इसको समाप्त करना चाहिए।

मैं इस संबंध में दूसरी राय भी देता हूं। आप टेलीफ़ोन का टेप करना या चिट्ठी-पत्री का खोलना पढ़ना इसलिये करते हैं कि हिन्दुस्तान के अन्दर कोई षडयंत्र तो नहीं रचा जा रहा है। पहली बात तो यह है कि कोई संगठन हो या व्यक्ति हो क्या वह ऐसी बातें पत्र में लिखेगा या आपको कहेगा? आपके अफ़सर कितने पत्र पढ़ते हैं, क्या आज तक एक भी मुकदमा उन पत्रों के आधार पर या टेलीफ़ोन के आधार पर किसी पर कहीं भी चलाया गया है जिससे यह साबित हो जाये कि हां, अमुक व्यक्ति इस प्रकार से हिन्दुस्तान की शांति व्यवस्था को भंग करने की कोशिश कर रहा था?

क्या आपने एक भी मुकदमा चलाया जहां कोई इसका उपयोग किसी खास काम के लिये कर रहा हो? अगर कोई पार्टी या संगठन ने कोई बात कही कि अमुक तारीख को मीटिंग होगी, आपने 10 दिन तक उस पत्र को रोक लिया, वह उसके पास पहुंचा नहीं, मीटिंग खत्म हो गई और वह जा नहीं पाया। वही आपका तरीका टेलीफ़ोन के टेप करने का है। मैं समझता हूं कि कहीं आपकी यह राय तो नहीं है कि अपनी पार्टी के अन्दर जो असंतोष है, उसको मालूम करने के लिये आप इस तरह के उपाय अपनाते हैं? इसके कई उदाहरण हैं, जो मिनिस्टर के पद से हटते हैं, उनके टेलीफ़ोन आप टेप करने लगते हैं, उनकी डाक सेंसर होने लगती है। जब बहुगुणा जी चीफ़ मिनिस्टर के पद से हटे तो उनका टेलीफ़ोन टेप होने लगा, डाक सेंसर होने लगी। तो हम ऐसी बात कोई कर नहीं रहे और न हो रही है न चिट्ठी से न टेलीफ़ोन से। अगर

कोई कुछ कर भी रहा हो तो क्या चिट्ठी के जरिये से बता देगा ? हम तो वैसे ही जनतंत्र में विश्वास करते हैं । ऐसे काम करते नहीं हैं, लेकिन आप इस तरीके से जरूर यह काम करते हैं कि 10, 10 दिन तक पत्र नहीं मिल पाते हैं ।

आप कहते हैं कि टैंपरिंग विद नहीं किया जाता डाक खोली नहीं जाती । मेरी चिट्ठी 10, 10 दिन नहीं पहुंचती है । मैंने चुपके से डाकिये से पूछा कि क्यों देर होती है तो पता लगा कि इंटेलीजेंस वाले ले गये थे, देरी से देते हैं तो वह क्या करें । आप यहां कहते हैं कि हम ऐसा काम नहीं करते हैं, डाक को सेंसर नहीं करते हैं, टेलीफोन को टेप नहीं करते हैं ।

हमारे एक माननीय सदस्य जो लेह से आते हैं, लद्दाख के सदस्य हैं, उन्होंने अपनी बात आपके सामने बता दी । यह सीधे-साधे आदमी हैं, पर्वत का आदमी सीधा-साधा होता है और ऊंचे पर्वत का बहुत सीधा-सादा होता है ।

श्री पी० नामग्याल : यह स्टेट गवर्नमेंट ने किया है ।

श्री हरीश कुमार गंगवार : माननीय सदस्य चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट यह काम करे और स्टेट गवर्नमेंट न करे । यह बात नहीं चलेगी । फर्क सिर्फ इतना है कि जब वे शासन की पार्टी में होते हैं, तो कहते हैं कि जितनी दंड व्यवस्थाएं हो सकती हैं, वे लागू की जाएं और जब शासन से हट जाते हैं तो कहते हैं कि दंड व्यवस्था बुरी है । उन्हें ऐसे नार्म्ज़ और ऐसी परम्पराओं की स्थापना करनी चाहिए, जिससे लोगों को लगे कि जनतंत्र में उनकी आस्था है और वे जनतंत्र का सम्मान करते हैं ।

लेकिन वे जनतंत्र का क्या सम्मान करेंगे ? उनकी प्रधान मंत्री तो संविधान में ऐसे संशोधन करा लेती हैं कि उनके खिलाफ कोई दीवानी और फौजदारी मुकदमा दायर नहीं हो सकता, उनके खिलाफ इलैक्शन पेटीशन हाई कोर्ट का जज नहीं सुन सकता और लोक सभा की अवधि भी बढ़ जाती है । यह इनकी पार्टी और इनके नेता का हाल है, जो अपने मतलब के लिए हाई कोर्ट के जज के फैसले को भी बदलवा देती हैं । सब एम पीज़ की इलेक्शन पेटीशन्ज को तय करेगा हाई कोर्ट का जज, लेकिन अगर प्रधान मंत्री के खिलाफ कोई पेटीशन होगी, तो उसे हाउस की कमेटी तय करेगी । जनतंत्र में इनकी आस्था यह है । हम इनसे क्या कहें ? कुछ नहीं कह सकते ।

एक माननीय सदस्य : यह रेलीवेंट नहीं है ।

श्री हरीश कुमार गंगवार : अगर यह रेलिवेंट नहीं है, तो क्या है ? बहुत जल्दी वह समय आने वाला है, जब आप इसकी रेलिवेंसी को समझ जाएंगे, जब आप उधर से इधर बैठेंगे और हम लोक इधर से उधर बैठे होंगे ।

श्री राम सिंह यादव (अलवर) : यह तो सुनहरा सपना है । देखते रहें । मगर अभी तो दिन है ।

श्री हरीश कुमार गंगवार : मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि यदि आप जनतंत्र में आस्था रखते हैं और अच्छी परम्पराएं डालना चाहते हैं, तो आप अंग्रेजों के जमाने के बने हुए इस कानून को बदल डालें । अगर आप चाहते हैं कि इसमें और बदल होना चाहिए, तो आप एक नया संशोधन बिल लाएं । हमने पहले भी आपने कई बिलों का स्वागत किया है, हम इस बिल का भी स्वागत करेंगे । लेकिन सरकार लोगों की डाक को सेंसर कर के या उनके टेली-

[श्री हरीश कुमार गंगवार]

फ़ोन को टैप कर के उन्हें परेशान न करे। यह प्रजातंत्र के नियमों के विरुद्ध तो है ही, मगर साथ ही यह कोई अच्छी आदत नहीं है कि किसी की चिट्ठी-पत्री को खोल कर पढ़ा जाए। हमारे घर में जब किसी की चिट्ठी आती है, तो उसे लिफ़ाफ़ा वैसे ही दे दिया जाता है। अगर कोई उसे खोल ले, तो उसे बुरा माना जाता है कि चिट्ठी कैसे पढ़ ली। मगर यहां गवर्नमेंट दूसरों की चिट्ठियां पढ़ रही है। शायद ये जानना चाहते हैं कि किसका किससे प्रेम है और अपना प्रेम लड़ाना चाहते हैं। पता नहीं, इनका क्या इरादा है।

इन शब्दों के साथ मैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी के बिल का समर्थन करता हूं।

श्री राम सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, श्री वाजपेयी जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है मैं उस का विरोध करता हूं।

MR. DEPUTY-SPEAKER: There are about 6 or 7 speakers who want to participate in the discussion. But we have got to complete it by 5.30 P.M. and the Minister has to intervene and then Mr. Atal Bihari Vajpayee has also to speak.

SHRI RAM SINGH YADAV: Sir, you can extend the time.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: If there are many speakers, you can extend the time.

MR. DEPUTY-SPEAKER: From 5.30 we will extend the time by one hour. But at 6.00 P.M. the House will adjourn. The time for the discussion of this Bill has been extended by one hour. It means that the discussion will not conclude today but this will be continued next time when the Private Members Bills are taken up.

(Interruptions)

MR. DEPUTY SPEAKER: Now, You can continue.

SHRI RAM SINGH YADAV: Sir, I can speak only when the House is in order.

MR. DEPUTY-SPEAKER: There is no interruption. You can continue your speech.

श्री राम सिंह यादव : यह विरोध मैं रीति, नीति सिद्धांतों और कानून के प्रावधानों के अनुकूल करता हूं। . . . (व्यवधान) . . .

मेरा तात्पर्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी के माननीय नेता आज और खास तौर से कुछ दिनों से इस राजनैतिक जीवन में एक भिन्न प्रकार से कुछ आशाएं और आकांक्षाएं लेकर चलना चाहते हैं। उन आशाओं और आकांक्षाओं की वजह से वह हमारा जो दल है और हमारी सरकार है, उस की जो कार्यविधि है उस को देखते हैं कि सुचारू रूप से चल रही है और सरकार की अच्छी उपलब्धियां हैं, तो उस में कुछ न कुछ अभाव दिखाने का प्रयत्न करते हैं। माननीय वाजपेयी जी ने यह कहा कि सरकार को इस तरह की कोई शक्ति नहीं होनी चाहिये कि वह किसी भी डाक को या डाक के आर्टिकल को किसी भी स्टेज पर देख सके, उस को इंटरसेप्ट कर सके या किसी तरह की कोई जानकारी उसके बारे करना चाहे तो कर सके।

एक माननीय सदस्य : यह नहीं कहा।

श्री राम सिंह यादव : यह समझाने की आवश्यकता नहीं है। जो मैंने सुना है वह कह रहा हूं।

(Interruptions)

I think I know better than yourself. I have got much more knowledge than you have.

SHRI SURAJ BHAN (Ambala): You have the monopoly of keeping all the knowledge.

SHRI RAM SINGH YADAV: But we do not boast ourselves.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Yadav, I know something more about Mr. Suraj Bhan. He had worked in Postal Department.

श्री राम सिंह यादव : यह हमारी आदत है कि जो कांग्रेस दल के लोग हैं वह कभी भी अपने ज्ञान का बखान नहीं करते हैं जैसे कि आप लोग करते हैं। यह आप लोगों में एक अभाव है। आप लोग इस बात को सीखिये और आप भी सीखिये।

मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ने इस संबंध में जो इंग्लैंड के, यू एस ए के, फ्रांस के या और दूसरे देशों के इस तरह के कानून देखे हैं क्या उनमें इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है? इस तरह से डाक को इंटरसेप्ट करने की राष्ट्रीय स्तर पर.... (**व्यवधान**)

एक माननीय सदस्य : नहीं है।

श्री राम सिंह यादव : में आप को चेलेंज कर सकता हूं कि कोई ऐसा राष्ट्र नहीं है जिस राष्ट्र के अन्दर जो भी डाक चाहे विदेश से आती हो चाहे इग्लैंड जो लैटर आते हों उनको चैक करने की पावर सरकार को न हो। कोई ऐसा मुल्क दुनिया में नहीं है। चाहे वह सोशलिस्ट कंट्री हो चाहे कैपिटलिस्ट कंट्री हो सब के अन्दर यह व्यवस्था है और उसका सबसे बड़ा कारण है राष्ट्र की सुरक्षा और राष्ट्र का हित जो आप का भी उद्देश्य है और हमारा भी उद्देश्य है। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिये और मजबूत तरीके से राष्ट्र की इंटीग्रिटी को कायम रखने के लिये कोई ऐसा अगर सरकार कार्य करती है तो मैं समझता हूं कि उसका स्वागत है। जितने भी माननीय सदस्य विरोध पक्ष की ओर से बोले हैं, किसी ने भी यह नहीं कहा कि गर्वनमेंट के किसी अधिकारी ने मैला-फ़ाइडी तरीके से किसी की डाक को रोका हो या डेस्ट्राय किया हो या टेलीफ़ोन टैप किया हो। कोई एक भी एग्जाम्पल आज तक ऐसी नहीं आई है जिसमें डाक तार विभाग के किसी अधिकारी की तरफ़ से कोई मैलाफ़ाइडी एक्ट किसी भी स्टेज पर किया गया हो। आप जानते हैं कि पोस्ट आफ़िसेज एक्ट में जो भी व्यवस्थायें की गई हैं वह इस दृष्टि से की गई है कि राष्ट्र की सुरक्षा को कोई हानि न पहुंच सके तथा राष्ट्र तथा समाज का जो कार्य संचालन है उसमें कोई व्यवधान उत्पन्न न हो। मैं जानना चाहता हूं क्या इस देश में ऐसे पत्र नहीं भेजे गये जिनमें बम रखे गये हों? क्या यहां पत्रों के अन्दर जीवित सांप रखकर नहीं भेजे गये? यह एक हकीकत है, इस देश में ऐसा हुआ है। इसके बावजूद यदि आप इस विभाग को कोई अधिकार नहीं देना चाहते तो आप इस देश में अराजकता ही चाहते हैं। (**व्यवधान**)

मान्यवर, मुझे सुप्रीम कोर्ट के एक एडवोकेट की बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने डाक को एक ट्रस्ट बना दिया। जेठमलानी जी ने बहुत कानून पढ़ा है लेकिन मैं भी इस क्षेत्र में थोड़ा सा दखल रखता हूं। उनके हिसाब से कोई भी कन्ट्राबैंड गुड डाक से भेज दिया जाय तो उसको चेक करने का अधिकार नहीं होना चाहिये। आपके मुताबिक तो सी कस्टम्स एक्ट के अन्तर्गत भी सेन्ट्रल एक्साइज को चेक करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिये। आपके मुताबिक पोस्ट आफ़िस के जरिये से अवैध हथियार भेजने का अधि-

[श्री राम सिंह यादव]

कार हो जायगा और गवर्नमेंट या पोस्टल डिपार्टमेंट उसमें इंस्ट्रूमेंटल हो जायेगा। इस प्रकार की व्यवस्था कोई कानून की व्यवस्था नहीं होगी। यदि आप ऐसा सोचते हैं तो यह गलत है।

मैं जानना चाहता हूं क्या जेठमलानी जी और वाजपेयी जी सन् 1977 से 1980 तक श्रीमती इंदिरा गांधी के टेलीफोन टेप नहीं करते थे? क्या उस समय उनकी डाक को सेंसर नहीं किया गया? इसी सदन में आपसे यह बात कही जाती थी लेकिन आपने उसका जवाब तक नहीं दिया। आप ने उस समय जैसा आचरण किया वह इस बात का संकेत करता है कि आप यहां पर जो बिल लाये हैं वह बोनाफ़ाइडी नहीं है बल्कि आप सरकार को मैलाइन करना चाहते हैं, कमजोर करना चाहते हैं। 1977 से 1980 तक आप तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर हमारी डाक को भी सेंसर करते थे। आप कांग्रेस (आई) के कार्यकर्ताओं की डाक सेंसर करते थे? आप कांग्रेस (आई) के एम पीज़ और स्वयं स्टीफन साहब की डाक को सेंसर करते थे और फोन का टेप करते थे? इसलिए पहले आप अपनी तरफ ध्यान दें कि आपने किस तरह का कार्य किया था।

यह जो 1898 का एक्ट है इसको अपने टाइम में आपने देखा भी होगा। यह जरूर है कि अंग्रेज़ों टाइम का यह एक्ट है लेकिन आप तो अंग्रेज़ के बफादार रहे हैं ... (व्यवधान) सी पी आई और सी पी एम वाले भी अंग्रेज़ों के सहयोगी रहे हैं और आर एस एस वाले तो अंग्रेज़ों का स्तुतिगान करते थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस एक्ट को आपने उस समय भी पढ़ा होगा, जब आप विदेश मंत्री थे और आप एक सशक्त मंत्री थे, उस समय भी आपने इस कमी को अनुभव नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि उस समय आपका निशाना श्रीमती इंदिरा गांधी थी, क्योंकि उस समय आपका निशाना कांग्रेस (आई) पार्टी थी। उस समय आपका निशाना था कि राजनीतिक क्षेत्र में आपका विरोध करने वाला कोई व्यक्ति न रहे। इसलिए श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ मुकदमें चलाये गये। मैं माननीय जेठमलानी जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वे इस बात को नहीं जानते कि मनीपुर में श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ मुर्गी के चार चुजें और छोटी-छोटी चीजों को ले कर शाह कमीशन बैठाया गया और झूठे मुकदमें चलाये गये। आप यह बात नहीं जानते हैं कि आप ने उस समय इन्फार्मेशन एण्ड ब्राडकास्टिंग अधिकारियों को किस तरह से दबाकर के स्व० श्री संजय गांधी और शुक्ला जी के खिलाफ ब्यान दिये, किस तरह श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ शाह कमीशन में पैरवी की गई। आज आप डैमोक्रेसी को दुहाई देते हैं और जनतंत्र के सिद्धान्तों पर चलना चाहते हैं। आज आप जनतंत्र के रक्षक हैं। आप यह नहीं जानते हैं कि इस जनतंत्र की रक्षा करने वाली पार्टी केवल कांग्रेस पार्टी है। यह वह पार्टी है, जिस पार्टी का कल्चर संयुक्त सैक्युलरिज्म, सोशियलिज्म और डैमोक्रेसी है। इस कल्चर को मजबूत करने के लिए हमारी नेता श्रीमती इंदिरा गांधी आज भी प्रयत्न कर रही हैं। आप लोगों को केवल एक दुख है, वह दुख यह है कि श्रीमती इंदिरा गांधी आज भी और अधिक मजबूत नेता के रूप में उभर कर सामने आ रही हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी गरीबों की मसीहा हैं। इस देश के अन्दर विकास की दृष्टि से बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मुझे ताज्जुब होता है कि माननीय जेठमलानी जी जैसे व्यक्ति जो कि कानून को जानने वाले हैं, वे भी इस तरह की बातें करते हैं।

मान्यवर, मैं एक बात और कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। माननीय

वाजपेयी जी ने सेक्शन 26 के बारे में कहा है कि इसको दुरस्त किया जाय, संशोधन किया जाय । मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि सेक्शन 18 से लेकर सेक्शन 25 तक इनको कायम रखना चाहते हैं और सेक्शन 26-ए को हटाना चाहते हैं । सेक्शन 18 से लेकर सेक्शन 25 तक सारी वही व्यवस्थायें हैं, जैसे डाक को समाप्त करना और डाक को चेक करना तथा दूसरे प्रावधान भी है । 26ए एक इनेब्लिंग सेक्शन है और सेक्शन 18 से सेक्शन 25 तक आप कायम रखना चहते हैं ।

मुझे ऐसा लगता है कि आपने इस एक्ट को पढ़ा नहीं है । श्री जेठमलानी जी ने इस बात को स्वीकार किया है, प्रत्यक्ष रुप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से कि यह संशोधन इनकम्पलीट है । इस संशोधन से और विसंगतियां पैदा होंगी । आप इस तरह की विसंगतियां पैदा करना चाहते हैं और उस सही एक्ट में कन्ट्राडिक्शन्स पैदा करना चाहते हैं, अपने ही अमेंडमेंट के जरिए से । मेरे विचार से यदि आपने इस अमेंडमेंट को और इस सारे एक्ट को दोबारा पढ़ा होता तो आप इस नतीजे पर अवश्य पहुंचते कि आप का अमेंडमेंट एक कन्ट्राडिक्टरी प्रोवीजन इंटरोड्यूस करना चाहता है और उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है । मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आज जो प्रावधान इस एक्ट में है, वह सही तरीके से है । हालांकि विरोधी पक्ष ने गत दो वर्षो से काफी उकसाने की कोशिश की है और मिनिस्टर साहब को बारबार कहते हैं कि टेप करते हैं, लेकिन वास्तव में गवर्नमेंट ने बड़ी बोनाफाइड तरीके से, उसमें न किसी तरह की विरोधी दल के नेताओं को न टेप करने की बात है, न उनकी डाक को गलत तरीके से नष्ट करने की बात है, मेरी दृष्टि में सही तरीके से काम हो रहा है । उसके लिये मैं पोस्ट आफिस और पोस्ट आफिस के अधिकारियों को और माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और माननीय वाजपेयी जी से निवेदन करूंगा कि आप एक समझदार सांसद हैं, इसलिये इस विधेयक को वापिस ले लें ।

इन्हीं शब्दों के साथ जो यह संशोधन माननीय वाजपेयी जी द्वारा पेश किया गया है, उसका विरोध करते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं ।

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY: Sir, the Hon. Member is praising the government for its efficiency. The efficient method is adopted to kill democracy. That is good.

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वाजपेयी जी के इस विधेयक का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । यह बहुत ही सामयिक और बहुत ही उचित विधेयक है । यदि सरकार इसे, जिस प्रकार इस में कहा गया है, उसी नीयत के साथ मान लेती है तो शायद हमारे देश के लोकतन्त्र में काफ़ी निखार आयेगा और उस से मजबूती और स्थायित्व प्रदान होगा । लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है और जहां तक मैं इस सरकार को समझ पाया हूं और इस देश के लोग समझ पाये हैं, यह सरकार लोकतन्त्र में आस्था नहीं रखती, इस के आज तक के तमाम आचरण इस बात के प्रतीक रहे हैं और यही कारण हैं कि आज यह सरकार तमाम विरोधी दलों के नेताओं के टेलीफ़ोन टेप कराती है, उन की डाक को सेन्सर किया जाता है तथा तरह-तरह से उत्पीड़ित करने का प्रयास किया जाता है ।

अभी श्री राम सिंह यादव ने कहा कि हर-एक देश में ऐसी व्यवस्था है । थोड़ी देर के लिये अगर यह बात मान भी ली जाय तो आप यह देखिये कि इस विधेयक

[श्री हरिकेश बहादुर]

में क्या कहा गया है? वही बात कही गई है जो आप ने कही है। एक तरह से श्री राम सिंह यादव ने श्री वाजपेयी जी के विधेयक का समर्थन किया है। इन्होंने कहा है कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिये यह किया जा सकता है। लेकिन इस विधेयक में क्या लिखा है?

> "(a) for the words "any public emergency", the words "a grave emergency proclaimed by the President under article 352(1) of the Constitution", shall be substituted;

दूसरे यह कहा गया है—

> (b) for the words "the public safety or tranquility", the words "the security of India", shall be substitued:"

इस में सिक्योरिटी ग्राफ़ इण्डिया की बात कही गई है, जिस से हमारे माननीय सदस्य श्री रामसिंह यादव भी सहमत हैं। इस का मतलब है कि वह वही बात कह रहे हैं जो श्री वाजपेयी जी ने कही है, लेकिन कहने के लिये विधेयक का विरोध करते हैं। मेरी दृष्टि में इन्होंने विधेयक का पूरा समर्थन किया है, लेकिन विरोध शब्द का प्रयोग कर के शायद वह अपनी नेता को प्रसन्न करना चाहते होंगे, परन्तु इस में उन को सफ़लता नहीं मिली है, क्योंकि इन्होंने इस विधेयक का समर्थन कर दिया है...

MR. DEPUTY SPEAKER: Then, why did he finally ask Mr Vajpayee to withdraw the Bill?

श्री हरिकेश बहादुर : यही बात वह समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन उन की नेता समझ जायेंगी कि वह क्या कहना चाहते हैं। एक तरफ़ विधेयक का समर्थन करते हैं और दूसरी तरफ़ वापस लेने की बात करते है।

राष्ट्र की सुरक्षा के लिये, जैसा इन्होंने कहा है, इस को किया जा सकता है, लेकिन इन की नेता और इन की पार्टी राष्ट्र की सुरक्षा के लिये नहीं, अपनी सुरक्षा के लिये यह काम करती है और जब कभी भी ऐसे मौके आये हैं, मौजूदा सरकार के नेताओं ने अपनी सुरक्षा के लिये ही यह काम किया है। इस में कहा गया है—पब्लिक एमर्जेन्सी की जगह पर—

> "(a) for the words "any public emergency", the words "a grave emergency proclaimed by the President under article 352(1) of the Constitution," shall be substituted;"

यह जो पब्लिक एमर्जेन्सी की बात कही गई है—यह नहीं हटाई जाती है तो इस का भाषान्तर सरकार कुछ भी कर सकती है,...

श्री राम सिंह यादव : यह कानून की बात है।

श्री हरिकेश बहादुर : ग्रेव-एमर्जेन्सी का अर्थ आप नहीं समझेंगे अगर इन्जीनियरिंग की बात होती तो शायद ज्यादा आसानी से समझ जाते। 26 जून, 1975 को जो एमर्जेन्सी लागू की गई थी, वह कैसी एमर्जेन्सी थी? आप की अपनी सुरक्षा के लिये लागू की गई थी, देश की सुरक्षा के लिये लागू नहीं की गई थी। जिस सुरक्षा की बात इस में कही गई है और जिस का उल्लेख यादव जी ने किया है...

MR. DEPUTY SPEAKER: Mr. Harikesh, it is better that you do not touch some subjects relating to Emergency.

SHRI HARIKESH BAHADUR: Sir, this word has been used in this Bill itself. That is why I am trying to interpret it.

मैंने कहा है कि ये लोग जब कभी भी इस प्रकार की चीज का इस्तेमाल करते हैं तो अपनी सुरक्षा के लिये करते हैं, राष्ट्र

की सुरक्षा के लिये नहीं करते हैं। राष्ट्र की सुरक्षा इन की दृष्टि में गौण है, इन की अपनी सुरक्षा प्रधान है, इस लिये उस का इस्तेमाल किया जाता है।

अभी-अभी श्री राम सिंह यादव जी ने कहा कि कभी-कभी डाक में सांप रखे जाते हैं, बम रखे जाते हैं। कौन रखता है ? क्या वाजपेयी जी रखते हैं, एडवानी जी रखते हैं, बहुगुणा जी रखते हैं, इन्द्रजीत गुप्ता जी या दण्डवते जी या चन्द्रशेखर जी रखते हैं ? सांप या बम कौन रखता है ? सांप और बम जो लोग रखते हैं, उन की डाक सेंसर नहीं की जाती बल्कि ऐसे लोगों की डाक सेंसर की जाती है, जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के व्यक्ति हैं, मानव जीवन को सुरक्षा प्रदान करने की लड़ाई लड़ते हैं, सारे देश के विकास की बात करते हैं और जो राष्ट्र का नेतृत्व करते हैं। ऐसे लोगों की डाक का सेंसर किया जाता है न कि उन लोगों की डाक को जो सांप रख कर भेजते हैं। सांप कौन रखता है ? इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि इस में जो प्रावधान सुझाए गये हैं, वे राष्ट्र हित में हैं और लोकतंत्र के अनुरूप हैं और सरकार को इन को मान लेने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए अगर वास्तव में देश में लोकतंत्र की जड़ों को मजबूती प्रदान करनी है और लोकतंत्र में आस्था है वैसे लोकतंत्र में इनकी आस्था नहीं है, यह इन के कार्यों से सपष्ट हो चुका है। हरियाणा में जो कुछ हुआ है, लोकतंत्र में इन की कितनी आस्था है, यह उस से साफ जाहिर हो गया है और देश के दूसरे भागों में जो इन्होंने कार्य किये हैं, उनसे साफ जाहिर हो गया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि दुनिया के किसी भी लोकतंत्र में जो मानवीय आजादी दी गई है, जो लिबर्टी की बात कही गई है, जो फंडामेण्टल राइट्स की बात कही गई है, ये सभी संशोधन जो माननीय वाजपेयी जी ने सुझाए हैं, वे सभी उस के अनुरूप हैं। इसलिए मैं सरकार से यह अपील करूंगा कि वह इन सुझावों को मान कर, इन के अनुरूप एक काम्प्रोहैंसिव बिल लाएं, जिस में यह हो कि विरोधी दलों के नेताओं की डाक को सेंसर न किया जाए। सरकार के कुछ नेता उन की डाक से अपने लिए कुछ खतरा महसूस करते हैं, इसलिए वे इस बात को नहीं मानते हैं।

इन शब्दों के साथ मैं वाजपेयी जी के विधेयक का समर्थन करता हूं और सरकार से उम्मीद करता हूं कि वह इसे स्वीकार करेगी।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन विधेयक के प्रस्तुतकर्त्ता माननीय सदस्य से ले कर के विरोधी पक्ष और उस तरफ के अपने सभी मित्रों की बातें मैं ने बड़े ध्यान से सुनी। उन की बातों से एक आम बात जो निकल रही थी वह यह थी कि मानों किसी साजिश के अन्तर्गत वे एक एक्ट के साधारण प्रावधानों को ले कर इस प्रकार का वातावरण इस सदन में या इस सदन के माध्यम से बाहर बनाना चाहते हैं ताकि लोगों को यह प्रतीत हो कि ऐसे छोटे छोटे साधारण एक्टों के द्वारा भी मनुष्य के जो मूल संविधान प्रदत्त अधिकार हैं, उन का हनन किया जा रहा है और लोगों की मौलिक स्वतन्त्रता का हनन किया जा रहा है और यह सरकार कोई एमर्जेंसी लगाना चाहती है। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि कोई साजिश इन लोगों की यह है कि लोगों के मनों में इस प्रकार का कन्फ्यूजन पैदा कर दो जिससे प्रजातंत्र जो एक सही रास्ते पर मजबूती के साथ श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, वह कमजोर हो जाए।

[श्री हरीश रावत]

ये उस को कमजोर करना चाहते हैं। इस ऐक्ट में जो प्रावधान हैं, उन में कोई ऐसी खास बात नहीं है, जिन पर एतराज किया जा सके। हमारी डैमोक्रेसी एक ओपन डेमोक्रेसी है लेकिन इस डेमोक्रेसी में मूल अधिकारों के नाम पर, संविधान प्रदत्त अधिकारों के नाम पर कुछ लोग उस का दुरुपयोग करना चाहते हैं जैसे धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार है। मैं समझता हूं कि इस संशोधन विधेयक के प्रस्तुतकर्त्ता इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि आज हमारे देश के अन्दर कई ऐसे संगठन हैं, जो मूल अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं और धर्म के नाम पर घृणा पैदा करने की कोशिश करते हैं। मुरादाबाद की घटना में किन लोगों का हाथ था, ये अच्छी तरह से जानते हैं, बिहार-शरीफ की घटना में किस का हाथ था, अलीगढ़ की घटना में किस का हाथ था, यह अच्छी तरह जानते हैं। आज जहां पर ऐसे संगठन हों, जो असम विघटनकारी कार्य कर रहे हैं, जो देश-विभाजन का समर्थन दे रहे हैं, जो पूर्वोत्तर अंचलों में उग्रवादी तत्वों का समर्थन दे रहे हैं, पंजाब के अन्दर खालिस्तान के आन्दोलन का समर्थन दे रहे हैं, तो इस तरह का प्रावधान होना जरूरी है। जब इस प्रकार के संगठन हमारे देश के अन्दर मौजूद हैं, जो धार्मिक जामा पहन कर, सामाजिक संगठनों का जामा पहन कर इस तरह का कार्य करते हैं, तो निश्चित तौर पर मैं समझता हूं कि इस देश में चाहे कोई भी सरकार हो, उस को इस तरह का अधिकार होना चाहिए जिस से वह ऐसे संगठनों पर नजर रख सके और उन के बारे में जानकारी एकत्रित कर सके। मैं समझता हूं कि चाहे कोई भी सरकार रही हो, चाहे 1977 से पहले की सरकार रही हो, या 1977 से 1980 की सरकार रही हो, उसने इस अधिकार का उपयोग किया है। माननीय प्रतिपक्ष मित्र जिन्होंने कि एक साधारण सी बात को लेकर इतना हाय-तौबा मचाया है, वे मुझसे इस बात को बेहतर जानते हैं। अपने शासन काल में हमारे नेताओं पर किस तरह से नजर रखी जाती थी, हमारी महान् नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी की मेल को किस तरह से सेंसर किया जाता था, उनके टेलीफोनों का किस तरह से टेप किया जाता और उन्हें किस तरह से तरह तरह से परेशान किया जाता था।

आज मुझे यह कहते हुए अफसोस होता है कि हमारे यहां जो अच्छे खासे पदों पर थे और 1977 से पहले हमारी पार्टी में थे और हमारी पार्टी में रह कर जो बड़े पदों पर आये और 1980 में भी यहां चुन कर आने के लिए उन्हें और कोई सहारा नहीं मिला तो वे हमारी पार्टी का दामन पकड़ कर, हमारी पार्टी का निशान ले कर यहां जीत कर आये, आज वे लोग भी हम पर आक्षेप कर रहे हैं। क्या उस समय उन्हें डेमोक्रेसी पर आघात नहीं दिखाई देता था, क्या उस समय उन्हें तानाशाहियत दिखाई नहीं देती थी। 1980 में उन्हें हमारी पार्टी का दामन पकड़ कर इस सदन में आना पड़ा और आज वे भी इसका विरोध कर रहे हैं जो कि समय की आवश्यकता है।

लेकिन जहां मैं इसका समर्थन करता हूं वहां इतना जरूर कहूंगा कि इसका उपयोग सोच-समझ कर किया जाना चाहिए। इसके लिए अधिकारियों को खुली छूट नहीं होनी चाहिए। हम को यह सब देखना पड़ेगा। इसका दुरुपयोग कई राज्य सरकारें भी कर रही हैं जैसे कि पश्चिमी बंगाल की राज्य सरकार। चाहे किसी भी पार्टी के लोग हों, जनता पार्टी के लोग हों, वे सभी जानते हैं कि पश्चिमी बंगाल की सरकार उनकी डाक को सेंसर कर रही है।

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY: We cannot do it. It is a Central subject.

SHRI RAM JETHMALANI (Bombay North West): My letters consist of abuse of Government. The best way of reaching those letters to Government is that there should be censorship. I have a personal interest in censorship continuing.

श्री हरीश रावत : आपका इण्ट्रेस्ट त: बहुत व्यापक है । आप क: इण्ट्रेस्ट त: ईजरायल में भी है । आपकी पार्टी का भी इण्ट्रेस्ट है ।

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY: This is a point for clarification. Since my friend has referred to the West Bengal Government, I openly and unequivocally say that the West Bengal Government does not believe in censorship. Neither does it have the authority, nor is it tapping the telephones. Nor does it have any authority for tapping telephones.

AN HON. MEMBER: They are doing so.

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI C. M. STEPHEN): This is the list of the Parties. Here is the list of people whose letters have been censored by the West Bengal Government. Here it is. (*Interruptions*) . . .

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY: What is it? What is that list?

SHRI C. M. STEPHEN : Do you want it? Do you really want it? (*Interruptions*)

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY: What is that list?

SHRI C. M. STEPHEN : Just one minute. Let me explain. Under the Act either the Central Government or the State Government or any officer nominated either by the Central Government or the State Government by a written order direct the Postal authorities to censor the postal articles coming to or despatched by a person or an institution. I checked up. I asked for the list, whether the West Bengal Government has a list of persons or institutions whose letters have to be censored. I have got the order here. Whether I should place it on the Table of the House or not is a different matter. They have given a list of persons and institutions numbering about 98 whose postal articles are to be censored. We are collecting those articles and handing over them to their people. (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: It is all right. (*Interruptions*)

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY: What is the date of the order?

SHRI C. M. STEPHEN: Current. It is currently in force.

(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: It is for the State Government of West Bengal. Now, Professor, it is for the State Government. (*Interruptions*)

SHRI SONTOSH MOHAN DEV (Silchar): Why do you not lay it on the Table of the House? (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, now, Sontosh Mohan Dev, those who are living in glass houses should not throw stones on other houses.

(*Interruptions*)

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY: Let the debate continue.

(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: He has come out openly and it has been recorded.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : I do not want that. There must be a full debate whether you send criculars to West Bengal . . . .
(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Everything is clear now.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY: I do not want to enter into that.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY (Bombay North East): Mr. Chakraborty owes to this House that he gets the Chief Minister to deny what Mr. Stephen has said to this House.

SHRI CHANDRA SHEKHAR SINGH (Banka): Why are you forcing it upon him .... (*Interruptions*). The West Bengal Government's requirements may be perfectly genuine. We do not object to it.

MR. DEPUTY-SPEAKER: He did not make that statement on behalf of the West Bengal Government.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: That is all the more reason that the Act should be amended.

SHRI HARIKESH BAHADUR : We are never willing that such types of laws should continue. But so long as they are there, we will use them.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I know that you oppose it whether it is the West Bengal Government or the Central Government.

SHRI C. M. STEPHEN: On a point of clarification. About the number I am not exactly correct. The order is there. The number I am counting. So, I stand corrected on that.

श्री हरीश .रावत : उपाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी के कथन के बाद जा स्थिति उभर कर आई है, उसको देखते हुए मुझे प्रोफ़ेसर चक्रवर्ती साहब पर वास्तव में दया आती है और वे वास्तव में नहीं जानते हैं कि उनकी पश्चिमी बंगाल को सरकार क्या-क्या कर रही है ।

मान्यवर, मैं समझता हूं कि जिस प्रकार को स्थिति है और कई प्रकार से प्रजातंत्र और इस व्यवस्था को कमजोर करने को कोशिश की जाती है और उनके बहकावे में आ कर कई राजनीतिक दल भी उनको शह देते हैं तो ऐसी स्थिति में सरकार के पास ऐसे अधिकारों का होना बहुत जरूरी है और साथ ही साथ यह भी आवश्यक है कि सरकार ऐसे अधिकारों का जहां पर आवश्यकता होती है, उपयोग करें । इस बात का हमारे प्रतिपक्ष के मित्रों को समझना चाहिए और केवल आलोचना करने के लिए, अपने मन की भड़ांस और निराशा को प्रकट करने के लिए ऐसी अनर्गल और असत्य बातों को सदन के सामने नहीं कहना चाहिए ।

इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन विधेयक का विरोध करता हूं और निवेदन करता हूं कि वे इसको वापिस ले लें ।

श्री कमला मिश्र मधुकर (मोतीहारी) : उपाध्यक्ष जी, वाजपेयी जी जो बिल लाए हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं । लेकिन समर्थन करने का मतलब यह नहीं समझा जाए कि वाजपेयी जी की पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों से हमारी पार्टी की नीतियां और कार्यक्रमों का कोई मेल है, लेकिन अगर वाजपेयी जी पूरब को पूरब कहें और हम पूरब को पश्चिम कहें तो यह भी हमारे लिए ठीक बात नहीं है । इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूं ।

उपाध्यक्ष जी, केन्द्रीय सरकार कानून लाई और जब राष्ट्रीय आंदोलन के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सत्ता संभाली तो जो कानून उनको सूट करते थे, उनको रहने दिया गया । जो कानून ब्रिटिश शासन द्वारा बनाए गए थे, एक नहीं अनेक, लेकिन सरकार को सूट करते थे इसलिए ब्रिटिश शासन समाप्त होने के बाद भी उनको बदलने की कोशिश नहीं की गई । वाजपेयी जी ने सही कहा है कि ये साम्राज्यवाद के अवशेष हैं । अंग्रेजों ने अपने इंटरेस्ट में, अपने निहित स्वार्थों

को कायम रखने के लिए इस तरह के कानून बनाएं । कांग्रेस जब सत्ता में आई तो उसने भी इसको नहीं बदला । वाजपेयी जी को सरकार ने भी इस कानून को नहीं बदला । मैं समझता हूं कि आज भी अगर आप इस कानून को लागू रखते हैं तो इसका मतलब है कि हिन्दुस्तान के नागरिकों की आजादी पर आप अंकुश लगाते हैं । यह जो अंकुश है इसको तोड़ने की दिशा में वाजपेयी जी का यह जो कानून है इसको सरकार को मान लेना चाहिए ।

यह कहा गया है कि हमारे देश की साठ या सत्तर करोड़ आबादी है और उस में कितने प्रतिशत आबादी पर यह लागू होता है । मैं समझता हूं कि यह कोई तर्क नहीं है । सवाल यह है कि इस तरह के कानून को लागू क्यों किया जाता है ? क्या आधार है इसको कायम रखने के ? वाजपेयी जी ने बताया है कि आपकी सरकार के लोगों के ऊपर भी यह सेंसरशिप लागू होता है, उनके भी फ़ोन टैप किए जाते हैं। जो नाम उन्होंने बताए हैं, उतने ही नाम नहीं हैं । और भी बहुत से नाम हैं । एक मित्र ने मुझे कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी के जो लोग हैं उन में से भी कुछ के फ़ोन टैप होते हैं। जो लिस्ट वाजपेयी जी ने बताई है नाम उससे कहीं अधिक है । यह कामन फ़िनोमिनन हो गया है । अगर आप इस कानून को बदलते नहीं हैं तो इसका मतलब है कि आपका जनता पर विश्वास नहीं है । आपका मंशा यह है कि अधिक से अधिक लोगों के टेलीफ़ोन टैप हों, अधिक से अधिक उनके पत्र सेंसर हों । यह नागरिक आजादी पर हमला है ।

देश में साम्प्रदायिक शक्तियां सिर उठा रही हैं, आनन्द मार्ग जैसी शक्तियां सिर उठा रही हैं, देश का विभाजन करने वाली शक्तियां सिर उठा रही हैं, देश को विघटित करने वाली शक्तियां सिर उठा रही हैं, देश के वास्ते खतरा पैदा करने वाले तत्व सिर उठा रहे हैं । ऐसे शक्तियों से लड़ने के लिए सरकार को कुछ तो करना ही पड़ता है । लेकिन यह जो स्थिति है यह वैसी नहीं है जिस प्रकार की तब थी जब यहां पर इस कानून को बनाया गया है । ब्रिटिश सरकार का जनतंत्र में विश्वास नहीं था । तब संविधान नहीं था । सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन नहीं हुए थे । अब यह सब कुछ हो गया है । अब ये सब परिवर्तन हुये हैं । इन परिवर्तनों का तकाजा है कि देश के नागरिकों की आजादी को बरकर रखने के लिये कदम उठाये जायें और अधिक नागरिक आजादी देने की व्यवस्था की जाए । यह नहीं हो रहा है । इसलिये जो कानून है इसमें संशोधन करना जरूरी है ।

संविधान में लिखा हुआ है कि जनता सावरेन है, सर्व सत्ता सम्पन्न है । इस तरह के कानून आप लागू करते हैं तो उस की इस सर्वसत्ता सम्पन्नता को आघात पहुंचता है, बाधा पैदा होती है, उस पर आंच आती है । इस वास्ते अवश्य ही इस कानून में संशोधन किया जाना चाहिये ।

यह कहा गया है कि एक कम्प्रिहेंसिव कानून इसके बारे में लाया जाना चाहिये । वाजपेयी जी ने अपने ढंग से कानून का मसौदा आपके सामने पेश किया है । परिवर्तन अनिवार्य शर्त है । देश में जनतंत्र को कायम रखने लिये, राजनीतिक हस्तक्षेप को दूर करने के लिये, राजनीतिक बदला लेने की भावना को खत्म करने के लिये यह जरूरी है कि इस कानून का संशोधन किया जाए । इसके लिये जरूरी हो तो कम्प्रिहेंसिव बिल लाया जा सकता है । मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय सिद्धांत रूप में इस बात को मान लें कि संशोधन होना चाहिये और बिल जो कम्प्रिहेंसिव हो लायें ।

[श्री कमला मिश्र मधुकर]

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि सिद्धांत रूप से सरकार इसको मान ले कि संशोधन होना चाहिये । जनतंत्र का यह तकाजा है कि ब्रिटिश राज में लगाये गये अंकुशों को समाप्त किया जाय । जनता की आजादी को बहाल रखा जाए । इसलिए इस बिल को पास किया जाए और अगर आप जरूरी समझते हैं तो एक विस्तृत बिल भी आप लायें ।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वाजपेयी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है मैं उसका विरोध करता हूं, और इसलिये कि जब माननीय वाजपेयी जी का राज्य आया तो इन्हें फुर्सत ही नहीं थी, यह तो रात और दिन विदेशों में घूमते थे, एक दिन भी हिन्दुस्तान में नहीं रहे । इनको मालूम नहीं था कि देश में क्या हो रहा है । तो उस वक्त ख्याल नहीं आया कानून में परिवर्तन करने का । अब इनको फुर्सत मिली है क्योंकि कोई और दूसरा काम नहीं है ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: He was n charge of External Affairs. He vas not in charge of internal affairs.

श्री गिरधारी लाल व्यास : इसलिये कह रहा हूं कि बाहर ही रहे और इस लिये ख्याल नहीं आया कि देश में किस प्रकार के कायदे कानून रहने चाहिये । जिससे पब्लिक सेफटी और पब्लिक ट्रांक्विलिटी बनी रहे । और माननीय जेठमलानी जी को शाहन कमीशन से फुर्सत नहीं मिली, यह इसी में लगे रहे, इसलिये इनको भी ख्याल नहीं आया । नहीं तो यह भी संशोधन पेश कर देते कि इसमें किस प्रकार का परिवर्तन होना चाहिये । यह हालत है विरोधी दलों के नेताओं की । जब अपना राज्य आता है तो ख्याल नहीं आता कि कौन सा कानून ठीक है और कौन सा गलत है लेकिन जब राज्य चला गया तो ख्याल आया कि हमारी चिट्ठियां सेंसर हो रही है टेलीफोन टेप हो रहे है । अब ख्याल आया इसलिये संशोधन लाये हैं ।

इन्होंने कहा कि यह कानून ब्रिटिश सरकार के समय का है । तो उस समय के कितने ही कानून हैं. जैसे आई० पी० सी०, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सी० पी० सी०, एवीडेंड एक्ट, जिनके जरिये से प्रशासनिक व्यवस्था चलती है । यह सारे के सारे कानून अंग्रेजों के समय के बने हुये हैं और उनमें बहुत कम परिवर्तन हुये हैं । जो कानून पोस्ट आफिसिस के सम्बन्ध में बना है वह स्वागत योग्य है क्योंकि माननीय मंत्री जी ने अभी बताया, वेस्ट बंगाल के एक भाई पैरवी कर रहे थे कि हमारी स्टेट इस प्रकार के काम नहीं करती, तो मंत्री जी ने बताया कि आपकी सरकार भी वही कर रही है जो दूसरी सरकार कर रहीं हैं, अर्थात् जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु की विरोधी दल की सरकारें भी यही कर रही है । इसलिये जब सब सरकारें इस कानून के जरिये से व्यवस्था चला रहीं हैं तो आप कैसे कह सकते हैं कि यह खराब कानून है, और कैसे आप कह सकते हैं कि जनता के मौलिक अधिकार खत्म हो रहे हैं ? ऐसी बात आप नहीं कह सकते । इसलिये यह कानून ठीक है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिये ।

माननीय जेठमलानी ने बड़ी पैरवी की डेमोक्रेसी की । मैं पूछना चाहता हूं कि जो इंसान पार्लियामेंट में जनता द्वारा चुन कर आया उसको आपने क्यों सदन से बाहर निकाल फैंका ? क्या ऐसा प्रजातंत्र आप चाहते हैं ? इस प्रकार की डेमोक्रेटिक प्रोसेस में विश्वास करने वाले लोग हैं और आज प्रजातंत्र की दुहाई देते हैं । आप तो कतई डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं करते हैं । आप तो औटोक्रेटिक हैं । हमारी पार्टी प्रजातंत्र में विश्वास करती है, और इस

व्यवस्था को बराबर जमाने का हमने प्रयास किया है। हमारी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जीते और बाद में इन्होंने दल बदल कर लिया, और आज वहीं कहते हैं कि कोई व्यवस्था नहीं चल रही है। जनता पार्टी की सरकार के समय में आप घमंड से कहते थे दल बदल को रोकने के लिये कानून लायेंगे। उसके बाद कोई कानून लाये नहीं। कोरी बातें करने के सिवाय इनके पास कोई काम नहीं है। यह केवल बातें करना चाहते हैं, काम करने का कोई ताल्लुक नहीं है। न इन्होंने कोई काम किया है।

जनता पार्टी के शासन में जिस प्रकार भंयकर दुरुपयोग प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं को खत्म करने का किया गया था, उतना गड़बड़ काम किसी राज्य में और किसी पार्ती के समय में नहीं हुआ। जिस तरह की हालत जनता पार्टी के शासन में इस देश में हुई है, हमने वापिस आकर इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था को वापस जमाया है और जनता में विश्वास पैदा किया है कि कांग्रेस पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास करती है, गरीबों और डाउन ट्रोडन को ऊपर उठाती है, उनके प्रति उसके मन में हमदर्दी है। सब विकास के कार्य कांग्रेस पार्टी ने ही किये हैं, यह केवल शोषण करने वाले लोग हैं, इनके पास और कोई काम नहीं है।

कम्युनिस्ट पार्टी के भाइयों की बात मैं कहता हूं, हम वैस्ट बंगाल के चुनाव में वहां गये थे। यहां ये लोग प्रजातांत्रिक व्यवस्था की बहुत दुहाई देते हैं लेकिन वहां इन्होंने क्या किया ? सारे वोट बन्दूक की नोक पर इन्होंने वहां डलवाये, रिगिंग किया और इस तरह से वहां इन्होंने प्रजातंत्र की हत्या की।

हमारी भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां पर जबर्दस्ती जाकर खड़े हो गये यह इसलिये कि वहां पर कांग्रेस के लोग न जीतें जिससे कांग्रेस की सरकार न बन सके। इनका इस प्रकार का दृष्टिकोण हैं यह कोई प्रजातंत्र को मजबूत बनाने वाले लोग नहीं है। अगर यह प्रजातंत्र है को मजबूत बनाने वाले लोग होते तो निश्चित रूप से हम कह सकते थे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी तो केवल नाम की पार्टी है, उइसके पीछे केवल आर० एस० एस का दल, है, जो साम्प्रदायिक भावनाओं को भड़काने वाली पार्टी है। इसके अलावा कोई दम, जहूरा इनका नहीं है। इसके पास से अगर यह मोहरा अलग हो जाये तो भारतीय जनता पार्टी का खाका बिल्कुल समाप्त हो जायेगा। इसके बाद कुछ इनके के पास नहीं रह जाता है।

यह ऐसी पार्टी है जो कमुनल भावनाओं मे विश्वास रखती है और साम्प्रदायिक दंगें फैलाती है जिसकी नजीर हमारे भाई ने भी दी है। इन्होंने 3, 4 जगहों पर दंगें करवाये। इनके खिलाफ कमीशन भी बठा और उस कमीशन ने भी कहा कि इन्होंने जगह जगह साम्प्रदायिक दंगें फैलाये थे और उसके लिये एक जगह एक एम० एल० ए० को भी जिम्मेदार ठहराया गया था लेकिन इन्होंने उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, इनकी पार्टी यही चाहती है। अगर वह चाहते तो उस एम० एल० ए० को अपनी पार्टी से बाहर निकालते, लेकिन इनसे का विश्वास प्रजातंत्र में नहीं है, यह केवल ढकोसले की बात है, कुछ तत्त्व इनमें नजर नहीं आता है।

मैं माननीय सदस्य स्टीफन साहब से निवेदन करूंगा कि ऐसी कौमुनल पार्टी, जो इस देश में अशांति फैलाना चाहती है, ऐसी राजनीतिक पार्टी जो इस देश को विघटित करना चाहती है, उसके खिलाफ और सख्ती से कार्यवाही करें ताकि ऐसी

[श्री गिरधारी लाल व्यास]

गड़बड़ इस देश में न हो जिसकी वजह से देश खंडित हो। आप इस बात से घबड़ाइये मत, हमारी सरकार मजबूत सरकार है, इसे मजबूती से देश को खंडित होने से बचाना है, देश को मजबूत बनाना है, इसकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनानी है।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारी कांग्रेस पार्टी ने जिन स्मगलर्स को पकड़ा था, उनकी जेठमलानी जी ने पैरवी की और सारे स्मगलर्स को इन्होंने जनता पार्टी के शासन में छोड़ दिया। ब्लैक मार्केटियर्स और हार्डर्सको इन्होंने छोड़ दिया कौनसा आदमी ऐसा बचा जो जनता पार्टी के शासन में ने छोड दिया गया हो। उस समय जो आर्थिक स्थिति देश की खराब हुई, उतनी पहले कभी नहीं हुई। इसलिये इस तरह का कानून नितांत आवश्यक है, इस देश में स्थिरता रखने के लिये, कोमुनल टेंशन को समाप्त करने के लिये और इस देश को विघटित होने से बचाने के लिये। इस तरह की राजनीतिक और सामाजिक संस्थायें गड़बड़ पैदा करती हैं, इन पर अंकुश लगाने के लिये ऐसे प्रावधानों की नितांत आवश्यकता है। इसलिये मैं इस अमेंडमैंट बिल का घोर विरोध करता हूं और माननीय वाजपेयी जी से कहना चाहता हूं कि वह इस बिल को वापिस लें।

17.59 hrs.

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

THIRTY-FIRST REPORT

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BHISHMA NARAIN SINGH): I beg to present the Thirty-first Report of the Business Advisory Committee.

18.00 hrs.

RE.: CANCELLATION OF SITTING OF THE HOUSE FOR 12-7-1982 AND FIXING THE SITTING FOR 7-8-1982.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BHISHMA NARAIN SINGH): Further, Sir, the Business Advisory Committee, at its sitting held today, agreed that the House might not sit on Monday, the 12th July, 1982 due to Presidential election on that day. The Committee also agreed that to make up for the time, the House might sit on Saturday, the 7th August, 1982.

I hope the House will agree.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Does it have the approval of the House?—Yes, I find the House agrees.

18.01 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, July 13, 1982/*Asadha* 22, 1904 (*Saka*).

GIPMRND—SI—1205 LS—JC 1844—21-9-82—890